www.kewalsachtimes.com

₹ 10

जनवरी 2020

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT.-78

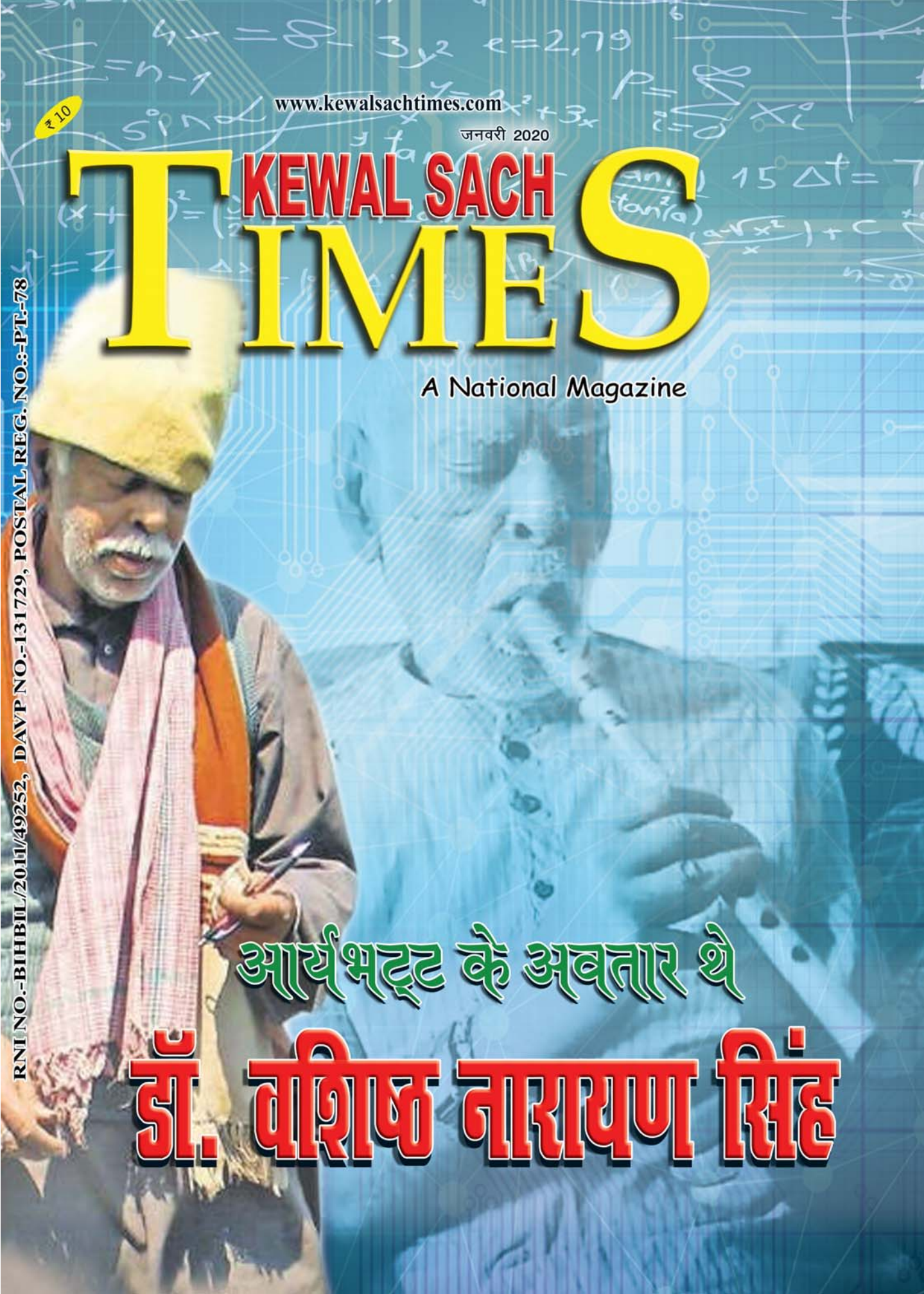

आर्यभट्ट के अवतार थे

डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

बिहार एवं झारखण्ड की तेज़ी से बढ़ती पत्रिका

"केवल सच"

सबुत के साथ खबर लिखता है केवल सच मिडिया ग्रुप

भ्रष्टाचार एवं दहशतगर्दी और मुखिया से मुख्यमंत्री

थाना प्रभारी से डीजीपी के साक्षात्कर के लिए चर्चित

पत्रिका केवल सच

से आज ही जुड़े।

ब्रजेश मिश्र
संस्थापक सह संपादक

www.kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ
Mob. 09431073769, 9308727077

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
www.kewalsach.com

Kewal Sach TIMES
A National Magazine
www.kewalsachtimes.com

प्रधान कार्यालय :- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
झारखण्ड कार्यालय :- रिया प्लाजा, तीसरा तल्ला, फ्लैट नं.-303, कोकर चौक, राँची (झारखण्ड)
सम्पर्क संख्या :- 9431073769, 9955077308, 9308727077

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894

नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951

विद्या बालन
01 जनवरी 1978

ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955

दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986

विपाशा वसु
07 जनवरी 1979

ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966

फराह खान
09 जनवरी 1965

हृतीक रौशन
10 जनवरी 1974

राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973

स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863

प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972

राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963

मायावती
15 जनवरी 1956

जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945

सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897

बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926

बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967

लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865

प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

रघुवर बनाम हेमंत झारखंड

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

चुनाव के नतीजे की संभावना सबको थी की रघुवर बनाम हेमंत के राजनीतिक खेल में दास को झारखण्ड की जनता ने सेवा का अवसर छिन लिया। जिस प्रकार नरेन्द्र मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक कहकर देशवासियों का ध्यान अपनी ओर केन्द्रीत करने में कामयाब हो गये, उसी प्रकार झारखण्ड के सेवक के रूप में रघुवर दास भी साबित करना चाहते थे, लेकिन उनका अहंकारी व्यक्तित्व को सूबे की जनता ने साफ तौरपर नकार दिया है। झारखण्ड चुनाव के नतीजे उसी दिन घोषित हो गये थे, जब झारखण्ड के राजनीति के महानायक सरयू राय का टिकट भाजपा ने काट दिया था। मोदी एवं शाह की जोड़ी को इससे सबक लेना चाहिए की झारखण्ड की कमान जिस प्रकार रघुवर दास के हाथ में था, ठीक उसी प्रकार बिहार की राजनीति में भी सुशील कुमार मोदी का खेल चल रहा है और 2020 में बिहार को भी बड़ा झटका मिल सकता है। रघुवर दास की तानाशाही पर हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता के रूप में एस.टी. एक्ट का मुकदमा किया था, लेकिन जब हेमंत सोरेने मुख्यमंत्री बने तो वह केश वापस ले लिया, ताकि रघुवर दास यह नहीं कह सकें की मुख्यमंत्री के पावर आने के बाद बदला ले लिए। राजनीति को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए की परिभाषा को हेमंत सोरेन ने सार्थक सिद्ध कर दिया, जबकि रघुवर दास हेमंत सोरेने का हमेशा जेल की सलाखों में धकेलने एवं आदिवासियों पर अपनी ताकत का परिचय देते हुए अपना परचम लहरा रहे थे। विज्ञापन के दम पर बड़े मीडिया घरानों को अपने सरकार का रखैल बनाकर सत्ता के सिंहासन का रसस्वादन का खेल को न सिर्फ झारखण्ड की जनता ने बल्कि संयुक्त बिहार के लोग भी समझ चुके थे और दास के पुत्र एवं भतीजा की कंपनी के खेल से भी पर्दा उठ चुका था। आदिवासी राज्य में गैर आदिवासी का पांच साल का कार्यकाल पर आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान किस-किस घेटाले पर जाता है, यह तो भविष्य में खुलासा होगा, परन्तु रघुवर बनाम हेमंत की राजनीति में झारखण्ड की मतदाता ने अहंकारी राजा को सिंहासन से बेदखल कर दिया है। शिक्षकों की नाराजगी का मामला हो या सीएनटी का मामला, रघुवर दास को उनकी करनी का दंड मिल चुका है और आने वाले दिनों में पांच साल का पूरा हिसाब होना अभी बाकी है। झारखण्ड की राजनीति में विपक्ष की भूमिका को बारीकी से समझने वाले, झारखण्ड की राजनीति को दिशा देने वाले शिबू सोरेन (गुरू जी) कानूनी अड़चन की वजह से चुनावी मैदान में नहीं आये, वहीं भाजपा की रीढ़ की भूमिका निभाने वाले सरयू राय को राजनीति में वृद्ध समझकर किनारा कर दिया और उनको टिकट तक नहीं दिया गया। मोदी एवं शाह को यह बताने की कोशिश की गयी की अब झारखण्ड में सरयू राय का राजनीतिक कद इस प्रकार का नहीं है की वह खुद चुनाव जीत सकें या फिर वह लगातार भ्रष्टाचार को सरकार में मंत्री रहकर भी उजागर करते रहे, का दंड दिया गया। रघुवर बनाम हेमंत सोरेन की राजनीतिक चुनाव में सरयू राय सतरंज के वजीर साबित हुए, जिसने पांच साल सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री को उसके ही गढ़ में हरा दिया और भाजपा की अहंकारी कमिटि को करारा झटका दिया है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर ग्रहण लगाने वाले सरयू राय भाजपा के आंख में किरकिरी बन गये थे और विपक्ष की राजनीति में घिरी रघुवर दास की सरकार को बीच में आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाने की बात को लेकर बीच में भी कोहराम मचा था, लेकिन केन्द्रीय भाजपा ने उस वक्त शिवशंकर उराव एवं विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उराव की बातों को हवा में उड़ा दी थी, लेकिन जुगाड़ तकनीकी में दास सफल हो गये थे। उसके बाद झारखण्ड के आदिवासियों में बड़े स्तर पर आक्रोश बढ़ गया था। आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा के साथ राजनीति करके विधानसभा चुनाव 2014 में हरवाया गया और 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में अुर्जन मुंडा को सांसद व मंत्री बनाकर रघुवर दास का रास्ता साफ कर दिया था। रघुवर बनाम हेमंत सोरेने की राजनीति को तब और बल मिलने लगा था, जब भाजपा खुद अपनी करनी के कारण जीता हुआ मैच हार गयी। क्योंकि उनके मजबूत खिलाड़ी सिर्फ मौन रहकर हेमंत सोरेन को शक्ति दे रहे थे। वहीं सुदेश महतो भी अपने युवाओं की राजनीतिक चाल में नाकामयाब हो गये और न एएडीए का साथ बना और न ही महागठबंधन और यही सब कारण बना रघुवर दास के हार का। हेमंत सोरेन विपक्ष में रहते हुए लोगों के बीच मजबूत संवाद करने में जहां कामयाब रहे, वहीं अहंकार एवं..... के नशे में चूर रघुवर दास पत्रकारों को भी धमकाने से बाज नहीं आते थे। आदिवासियों की जमीन को कब्जा करके अडाणी एवं अंबानी को पावर प्रोजेक्ट सहित कई बड़ी कंपनी का विवाद भी हार का मुख्य कारणों में शामिल था तथा सरयू राय की बनायी गयी राजनीतिक शतरंज की चाल में भाजपा बुरी तरह से फंस गयी और पांच साल चलने वाले हेमंत की सरकार में जब घोटालों से रहस्य उठेगा तब वास्तविक राजनीति का शंखनाद होगा। रघुवर बनाम हेमंत की राजनीति में झारखण्ड की जनता ने आदिवासी पर भरोसा किया है और अब विकास नहीं हुआ तो वास्तव में आदिवासी शब्द विलुप्त हो जायेगा।

वर्ष 2019 का समापन हो चुका है और 2020 भी अपनी दस्तक दे चुकी है। भारत के दो राजनीति के महाबली, नरेन्द्र मोदी तो दूसरे अमित शाह ने वर्ष 2019 में इतने धमाके (राजनीति व कानूनी) किये..... की उसकी गूंज से पूरा भारत चिंतन व मंथन में लगा हुआ है। भारत बुलाओं या भारत से भगाओं की राजनीति में पक्ष एवं विपक्ष के बीच भारत की जनता चक्की में पीस रही है की गेंहू का आटा किसके पक्ष में आयेगा और चोकर से किसको संतोष करना पड़ेगा यह कहना उतना ही मुश्किल है जितना बिना दस्तावेज का दूसरे देश का दौरा करना। झारखण्ड के चुनाव आदिवासी एवं गैर आदिवासी वोटरों ने जहां रघुवर दास के अंहकारी चेहरा को खारिज कर दिया तथा विकास का राग अलापने वाले दलों को चारों खाने चित भी, जिसका सीधा लाभ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला और वह झारखण्ड के ताज को संभालने में मशगूल हो गये। भाजपा को जहां शिकस्त मिली वहीं जदयू एवं लोजपा का हाल से उनका दल एवं नेताओं को भी अपनी जमीनी हकीकत समझ में आ गयी होगी की उनकी राजनीतिक बुनियाद झारखण्ड में क्या है और यहां के आदिवासी उनके दल में कितना भरोसा करते हैं। जब झारखण्ड की जनता मोदी एवं शाह की जोड़ी को तब्बजों नहीं दी और इन दोनों नेताओं को रघुवर दास ने गुमराह करके रखा। जिसके कारण से सरयू राय जैसे साथ को अलग करना पड़ा और स्वयं बागी से मुख्यमंत्री हार गये या यूं कहें की सरयू राय ने एक साथ कई लोगों का गुमान तोड़ दिया है। रघुवर बनाम हेमंत की राजनीति को उसी वक्त हवा मिल गयी, जब श्री राय को भाजपा से दरकिनार किया गया था।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 09, अंकः- 103 माहः- जनवरी 2020 रू. 10/-

Editor in chief

Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Chief Editorial Advisor

Deepak Mishra 09334096060

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 09308815605,
09122003000

General Manager (Advertisement)

Reeta Singh 09308729879
Poonam Jaiswal 09430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor

Rampal Prasad Verma 0 9939086809

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 07762089203

Photographer

Mukesh Kumar 0 9304377779

Bureau

Sridhar Pandey 09852168763

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड

राजेश मिश्रा 09608645414
08083636668
rajeshmishrarti@gmail.com

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 08109932505,
08269322711

छत्तीसगढ़ हेड

डिगल सिंह 09691153103
08982051378

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

कमोद कुमार कंचन 07492868363

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

श्रवण कुमार चंचल 08977442750

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
रिया प्लाजा, तीसरा तल्ला, कोकर चौक,
राँची (झारखण्ड)
मो०- 9955077308, 9431073769

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 07492868363

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास, बेलभाँटा,
अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०- 09835845781, 08602674503

आपको केवल सच टाइम्स पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारी सच्चाई है।

हमारा पता है

केवल सच टाइम्स,

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

द्वाराः- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोनः- 9431073769, 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

दिसम्बर 2019

एक पर एक

संपादक महोदय,

ललन कुमार प्रसाद की तीन खबर दिसम्बर 2019 का केवल सच टाइम्स पत्रिका में ''आत्मघाती है लैब वर्क की अहमियत को नकाराना'', दूसरी खबर ''केवल योग्य व जिम्मेवार शिक्षक ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है'' और तीसरी चिन्ताजनक खबर ''बहुत ही दयनीय है भारत की उच्चतर शिक्षा'' वास्तव में भारत की शिक्षा पद्धति पर सवालिया निशान है। यह सच है की मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण ही देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अन्यथा भारत के विद्यालयों में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे और आज भारत को अंयत्र जाना पड़ता है। संपादकीय व महाराष्ट्र सरकार का गठन की खबर भी पढ़ने योग्य लगे। सभी खबरों के लिए बधाई।

● **कुमुद रंजन, लक्ष्मी नगर, पानी टंकी, नई दिल्ली**

पहचान कौन!

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूं और दिसम्बर 2019 अंक में संपादकीय ''पहचान कौन'' खबर वास्तव में सरकार की 2019 की सभी नीतियों को बहुत ही गहराई से पाठकों के समक्ष रखा गया है। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक एवं NRC और CAA जैसे कानून को जिस प्रकार आपकी लेखनी लोगों को जागरूक कर रही है तथा सभी मुद्दे को गंभीरता के साथ समझाते हुए लिखा गया है, जिस वजह से इस खबर की महत्ता और बढ़ जाती है। आपका संपादकीय पढ़ने के बाद ऐसा लगता है की कोई घर का सदस्य घर के भीतर की पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जिससे स्पष्ट शब्दों में घर के मुखिया का दोष भी बताता हो, वह काबिले तारिफ है।

● **महेन्द्र कौशिक, बुराड़ी गांव, नई दिल्ली**

भ्रष्टाचार

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका सरकार के हर पहलुओं को बिना किसी डर का बेवाकी से खबर लिखता है। दिसम्बर 2019 अंक का ललन कुमार प्रसाद की खबर ''केवल योग्य व जिम्मेवार शिक्षक ही क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है।'' सरकार के लाख प्रयास के बाद भी स्कूल में 30 से 35 छात्र ही स्कूल आते हैं, क्योंकि छात्रों एवं अभिभावकों को ऐसा लगता है की सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर चिंताजनक है। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है ताकि छात्रों की संख्या बढ़े, लेकिन योग्य एवं जिम्मेवार शिक्षकों को अभाव साफतौर पर देखा जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के लिए भले ही स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़े पर वे नीजी शिक्षा पर ही निर्भर रहता है। सटीक खबर ।

● **कौशलेन्द्र सिंह, ए जी कॉलोनी, पटना**

उद्धव का राज

मिश्रा जी,

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे एवं सरकार बनाने की गंदी राजनीति को आपकी पत्रिका केवल सच टाइम्स ने दिसम्बर 2019 अंक में ''महाराष्ट्र की ताज पर उद्धव का राज'' में भाजपा को अर्श से फर्श तक जाते दिख रही है। भाजपा पर बहुत सटीक व पठनीय आलेख लिखा गया है। खबर में पत्रकार अमित कुमार एवं कामोद कुमार कंचन ने विधानसभा चुनाव और चुनावी परिणाम तथा सरकार बनाने के लिए कुछ दिनों तक चला और बाद में शिवसेना की सरकार बनी और भाजपा का पूरे देश में जगहसाई हुई की बात को भी बेवाकी के साथ लिखकर स्वतंत्र व स्वच्छ पत्रकारिता का परिचय दिया है। ऐसी पत्रकारिता से सच्चाई लोगों तक पहुंचाती है।

● **महेन्द्र यादव, माटूंगा मार्केट, मुम्बई**

शिक्षा जगत पर गंभीर खबर

ब्रजेश जी,

आपकी पत्रिका के पत्रकार ललन कुमार प्रसाद की प्रत्येक रिर्पोट पठनीय, संग्रहनीय एवं चिंतन-मंथन करने वाली होती है। इसलिए मैं इनकी सभी खबरों को गंभीरता पूर्वक पढ़ता हूं। दिसम्बर 2019 अंक में ''बहुत ही दयनीय है भारत की उच्चतर शिक्षा'' जिसमें छात्रों को रैंगिंग के नाम पर भी शोषण होता है तथा शिक्षा का जो स्तर है वह काफी हास्यास्पद है। दुख की बात यह है कि ग्लोबल विश्वविद्यालय रैकिंग की सूची में 300 में से भारत के एक भी विश्वविद्यालय का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, जबकि भारतीय शिक्षा पद्धति का लोहा पूरा दुनिया मानता है। आखिरकार इस चिन्ताजनक खबर को भारत कैसे दुरूस्त करता है और उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाता है, चिन्ता का विषय है।

● **अशोक मालवीय, सेक्टर-8, नोयडा, यूपी**

पेज एवं स्तंभ बढ़ाए

संपादक जी,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका को वेबसाइट www.kewalsachtimes.com पर पढ़ता हूं, लेकिन पत्रिका का रंगीन नहीं होने की वजह से सौन्दर्य का मजबूत असर नहीं दिखता। साथ ही पृष्ठों की संख्या कम रहने की वजह से बहुत सारी खबरों का समावेश भी नहीं रहता। बडी-बड़ी राजनीतिक खबरों से ही पत्रिका का पृष्ठ भर जाता है। कई मजबूत एवं स्थायी स्तंभ की कमी भी इस पत्रिका में है। पाठकों की सलाह है की पत्रिका में स्वास्थ्य, सौन्दर्य, पर्यटन एवं कहानी और कविता को भी पत्रिका में स्थान मिलना चाहिए तथा प्रतियोगी छात्रों के लिए भी विशेष सामग्री प्रत्येक माह में आना चाहिए। स्तंभ के पाठक नियमित होते हैं और आपकी पत्रिका की सामग्री ज्ञानवर्द्धक होती है, इसलिए स्थायी स्तंभ पर विशेष फोकस होना चाहिए।

● **दीपक निराला, चरचा कॉलोरी, अम्बिकापुर, छ.ग.**

अन्दर के पन्नों में

Supreme court allow.....21

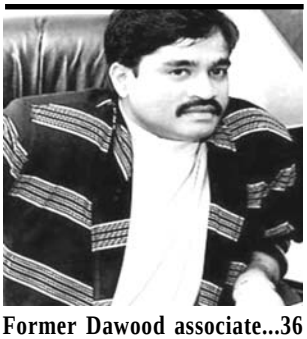

Former Dawood associate...36

एटीएम लूट में गबन.....41

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक **'केवल सच'** पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स' द्विभाषीय मासिक पत्रिका
प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्याः- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

एक नजर इधर भी

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

नागरिकता संशोधन बिल

संवैधानिक भूल का सुधार

● **ललन कुमार प्रसाद**

करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद 9 दिसम्बर 2019 को करीब पौने बारह बजे रात में लोकसभा से यह बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में कुल 391 में से 311 वोट पड़े और बिल के विरोध में महज 80 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस सहित देश की 11 पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही थी। अर्थात् बिल के पक्ष में 79% वोट पड़े और विरोध में 21% वोट पड़े। राज्यसभा में 11 दिसम्बर 2019 को घंटो गरमा गर्म बहस के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में कुल 203 में से 125 वोट पड़े और विरोध में 105 वोट पड़े। अर्थात् बिल के पक्ष में 55% और विरोध में 45% वोट पड़े। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना जरूरी है कि राज्यसभा में वोटिंग के पहले शिवसेना के सांसद संसद से बाहर चले गये, जबकि लोकसभा में बिल के पक्ष में वोट दिया था। इससे स्पष्ट है कि शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है, इसलिए शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए दो दिन के भीतर ही पलटी मारकर दिखा दिया कि वह कुर्सी के लिए कुछ भी उलटा-पुलटा कर सकती है।

राज्यसभा में बिल पारित होने के पहले विपक्ष द्वारा पेश किये गये करीब सभी 40 संसोधन प्रस्ताव वोटिंग के दौरान गिर गये। इतना ही नहीं बिल को सलेक्ट कमिटी को भेजने का प्रस्ताव भी वोटिंग के दौरान 124 के मुकाबले 99 मतों से धाराशायी हो गया। इससे स्पष्ट है कि बिल को पारित करने के दौरान संसद में सभी मानको का पूरी तरह से पालन किया गया। बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नागरिकता संसोधन बिल कानून बन गया।

ऐसे में बिल के विरोध में विपक्ष द्वारा पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ कराये जाने को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह तो भारतीय संविधान और संसद दोनो का घोर अपमान है। यह पूरे देश की जनता का अपमान है, क्योंकि इन सांसदों को भारत की जनता ने ही चुनाव में जिताकर संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। ऐसे में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के सांसदों का चरित्र संसद में बैठने लायक नहीं रह गया है। विपक्ष के सांसदों ने अपने ही हांथों अपने मुख में कालिख पोत लिया है। ऐसे सांसदों के लिए अब संसद नहीं, जेल ही उपयुक्त स्थान हो गया है, क्योंकि अब ये सांसद देश की जनता के लिए गद्दार साबित हो गये हैं। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे दगाबाज राजनेताओं को आगामी चुनाव में जनता को अवश्य ही मजा चखाना चाहिए। जनता को ऐसे राजनेताओं का अवश्य ही बहिष्कार करना चाहिए।

★ **क्या है नागरिकता संसोधन बिल (CAA या CAB)? :-** इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर उत्पीड़ित उपरोक्त तीन

देशों से पलायन कर भारत में आये अल्पसंख्यकों यानि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। अर्थात् जो गैर मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 या उससे पहले भारत आये हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता देने का वादा भारत ने किया था, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जायेगी। गैर मुस्लिम यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइ।

यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जाना जरूरी है कि यह प्रक्रिया आजादी के वर्षो पहले से चली आ रही थी। 26 सितम्बर 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा था कि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दु और सिख वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे नि:संदेह भारत आ सकते हैं। इस मामले में उन्हें रोजगार देना, नागरिकता देना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। दरअसल, ब्रिटेन चाहता था कि भारत को आजादी मिले, लेकिन आजादी मिलते समय खंड-खंड में बंटा हो। अर्थात् भारत एक न रहकर भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बंट जाये। भारत को बांटने की प्रक्रिया भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटवेटेन की देख-रेख में आजादी मिलने के वर्षों पहले से ही चल रही थी। मो० अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नहेरू यथाशीघ्र देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए व्यग्र थे। यदि ये दोनो नेता सत्ता के लिए इतने व्यग्र न होते तो भी देश आजाद होता ही। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अब भारत को पराधिन रखना संभव नहीं है। उन्हें भारत को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन वे भारत को एक मजबूत देश के रूप में नहीं, बल्कि एक कमजोर देश के रूप में, एक लाचार देश के रूप में देखना चाहते थे और वे अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में सफल भी हो गये। हर भारतीय को समझना ही चाहिए की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर सताये गये गैर मुस्लिमों को उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यक यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हमारे अपने ही है। उन्हें वहां आजादी के समय से ही बुरी तरह से सताया जा रहा है। इसलिए वे भारत में आना चाहेंगे तो हम उन्हें जरूर स्वीकार करेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने शपथ ग्रहण के समय कहा था कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते जो भी वहां से विस्थापित होने का कष्ट झेल रहे हैं, वे कभी भी भारत आ जाये, उनका यहां स्वागत है।

★ क्या है नेहरू-लियाकत समझौता? :- 'नेहरू-लियाकत समझौता' के तहत 1950 में नैतिकता संसोधन कानून लागू किया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के लोग भारत के विभाजन का दंश झेल रहे थे। वह दौर था जब दंगा पीड़ित लाखों लोग भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार आ जा रहे थे। देश के विभाजन के समय आठ से दस लाख लोग मारे गये थे। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच दिल्ली के गवर्नमेंट हाउस में बातचीत की शुरूआत हुई, जो छः दिनों तक चलती रही। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 8 अप्रैल 1950 को समझौता पर दस्तखत किये। इसे नेहरू-लियाकत समझौता का नाम दिया गया। इस समझौते को 'दिल्ली पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के तहत शर्त है कि प्रवासियों को ट्रांजिट यानि भारत-पाकिस्तान की सीमा के आर-पार आने-जाने के दौरान आने-जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। वे बची हुई संपत्तियों

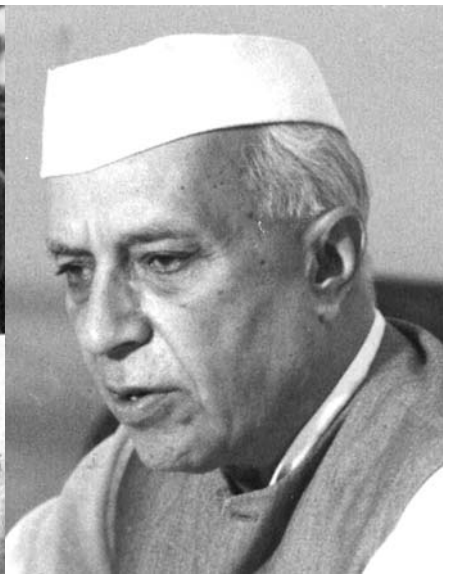

को बेचने के लिए सुरक्षित भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत सीमा से होकर आ-जा सकते हैं। जिन औरतों का अपहरण किया गया है, उन्हें वापस परिवार में भेज दिया जायेगा। अवैध तरीके से कबजाई गई दोनो देशों के अल्पसंख्यकों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी जायेगी। जबड़न धर्म परिवर्तन अवैध होगा। अल्पसंख्यको को देश के सभी नागरिकों की तरह बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिये जायेंगे। दोनो देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी तरह का कुप्रचार नहीं चलने दिया जायेगा। दोनो देश अपने-अपने देश के अंदर आपस में युद्ध को भड़काने वाले और देश की अखंडता के खिलाफ खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे। इसी समझौते के तहत दोनो देशों में अल्पसंख्यक आयोग बनाये गये। जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न से उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन, पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत समझौते का पालन नहीं किया, जिससे पाकिस्तान वहां के अल्पसंख्यकों के लिए दोजख बन गया। जिसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भुगतते आ रहे हैं और जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, कभी भी नहीं की जा सकती है। भारत ने नेहरू-लियाकत समझौते का पूरी तरह से पालन किया, जिससे भारत अपने यहां रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत बन गया है। अगर धर्म के आधार पर 1947 में देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो 2019 में नागरिकता संशोधन बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती।

दरअसल नेहरू-लियाकत समझौता खुल्लम-खुल्ला कानून के स्तर पर साम्प्रदायिक विभाजन का मामला है, जिसकी इजाजत आजादी की सैकड़ों वर्ष लंबी लड़ाई की पृष्ठ भूमि में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान नहीं देता है। लेकिन नेहरू तो नेहरू थे, वे अपने को सुपरमैन समझते थे। इसलिए किसी को भी अपने सामने नहीं लगाते थे।

उन्होंने भारतीय संविधान को भी कोई खास महत्व नहीं दिया। भारत की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज नेहरू जी ने अनुच्छेद 370 को अपने वर्चस्व के बलबूते जम्मू-कश्मीर में इस आश्वासन के साथ अस्थायी रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया कि निकट भविष्य में शीघ्र ही अनुच्छेद 370 को हटा लिया जायेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, देश की जनता के साथ धोखा दिया। देश को तोड़ने वाले यानि देश से जम्मू-कश्मीर को अलग करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बजाये इस अनुच्छेद को भरपूर मजबूती प्रदान करने के लिए 14 मई 1954 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35 ए को चुपके से लागू कर दिया। अनुच्छेद 25 ए को लागू करने के लिए संसद में इसको रखा नहीं था, उन्होंने संसद में चर्चा करने के लिए कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसा करके नेहरू ने भारत और भारत की जनता के साथ भारी गद्दारी की। भारत में एक ही शेर दिल गृहमंत्री हुए सरदार पटेल। जिन्होंने नेहरू जी के नहीं चाहने के बावजूद भी देश के 565 छोटे-बड़े रियासतों को देश में विलय करा दिया। वरना भारत देश के न जाने कितने टुकड़े हो गये होते, भारत देश का वजूद ही मिट गया होता।

☆ कौन थे लियाकत अली खान?

:- लियाकत अली खान की शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ में हुई थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा था। भारत के विभाजन और आजादी के

पहले एक अस्थायी और कम समय की अंतरिम सरकार में वे पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रीमंडल में सहयोगी भी रहे थे, बाद में वे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ने ही हैदराबाद निजाम को पाकिस्तान में विलय करने को राजी किया था। नेहरू जी भी इसके लिए राजी थे। इसके लिए हैदराबाद निजाम ने युनाईटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बैंक में पैसा भी जमा करवा दिया था। लेकिन, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के प्रयास से हैदराबाद का विलय पाकिस्तान के बजाय भारत में हो गया। यही कारण है कि वर्ष 2019 में लंदन हाईकोर्ट में पाकिस्तान के हार जाने के बाद वह पैसा 3 करोड़ 50 लाख पौण्ड हैदराबाद निजाम के उत्तराधिकारियों (वारिसों) मुकरंम जाह और उनके छोटे भाई मुफक्कम जाह को दे दिया गया, इतना ही नहीं मुकदमे की कानूनी खर्च की भरपाई के एवज में 60 लाख पौण्ड की राशि भी पाकिस्तान को हैदराबाद निजाम के वारिसों को देना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में 1949 में नेशनल बैंक की स्थापना की तो उन्हें बहुत सराहना मिली। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली खान को गोली मारकर हत्या कर दी गई।

★ दोजख है पाकिस्तान, जन्नत है भारत :- पाकिस्तान का निर्माण ही मुस्लिम देश के रूप में हुआ है, इसलिए वहां पर मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित किया जायेगा? वहां पर पहले कभी भी मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया गया है, आज भी नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और भविष्य में भी प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। फिर भी यदि आज बॉर्डर से सेना हटा ली जाये तो पाकिस्तान के सभी

मुसलमान भारत आ जायेंगे, पाकिस्तान जड़-मूल से मिट जायेगा। ऐसा इसलिए की आज पाकिस्तान की मालीय हालत इतनीइ खराब है, इतनी जर्जर हो गई है कि वहां के मुसलमान मुफलिसी में जिने को मजबूर हैं। वहां की आधी से अधिक आबादी को दो जून का भोजन भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। पूरा देश कर्ज के भारी बोझ तले बुरी तरह डूबा हुआ है। इमरान सरकार कटोरा लेकर पूरी दुनियां में भीख मांग रही है। अर्थात् पाकिस्तान पूरा का पूरा दोजख बन गया है। लेकिन यदि बॉर्डर से सेना हटा ली जाये तो एक भी भारतीय मुसलमान पाकिस्तान नहीं जायेगा, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के लिए भारत जन्नत है। यहां पर हर भारतीय मुसलमान को हिन्दुओं से बहुत अधिक सुविधाएं दी गई है। पूरी दुनियां में भारत के मुसलमानों को जितनी सुविधाएं प्राप्त है, उतनी सुविधा किसी भी मुस्लिम देश में मुसलमानों को प्राप्त नहीं है। इसलिए आज भारत का हर मुसलमान गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहा है कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में, खासकर पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं जायेंगे। मरना कबूल है, लेकिन भारत को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में जाना कबूल नहीं है।

★ हिन्दुओं को दी जा रही जबरदस्त अमानवीय यातनाओं से निजात पाने का बिल है 'नागरिकता संशोधन बिल' :- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिस क्रूरतापूर्वक हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को 1947 से ही लगातार धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता रहा है, वह मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। ध्यान रहे, उपरोक्त तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ने भारत के बंटवारे की मांग नहीं की थी। वर्ष 1947 में मो० अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जल्दी से जल्दी गद्दी हासिल करने के चक्कर में देश की जनता की राय लिये बगैर ही धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान का निर्माण तो मुस्लिम देश के रूप में हो गया, लेकिन भारत ने अपनी हिन्दु मान्यताओं के चलते धर्म आधारित देश बनना पसंद नहीं किया। हिन्दु मान्यताएँ धर्म निरपेक्षता के अनुकूल है। इसलिए हिन्दुओं का किसी भी धर्म या पंथ से कोई टकराव नहीं है। भारतीय इतिहास इस तरह के दृष्टांतों से भरा-पटा है। इसलिए भारत में किसी का भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न नहीं किया जाता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या पंथ को मानने

वाला क्यों न हो। महात्मा गांधी देश का बंटवारा कभी नहीं चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति में जिन्ना-नेहरू ने धार्मिक आधार पर अफरा-तफरी में देश का बंटवारा कर लिया। महात्मा गांधी के अडिग रहने के चलते भी भारत धर्म निरपेक्ष बना रहा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सरकारें भारत की नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चिंता जाहीर कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि भारत का धर्म निरपेक्षता संशोधन बिल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, लेकिन क्या पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफगानिस्तान धर्म निरपेक्ष देश है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और धर्म निरपेक्ष देश ही बना रहेगा। भारत के उपरोक्त पड़ोसी देशों को भी धर्म निरपेक्ष होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये तीनों पड़ोसी देश ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों देशों में इंसानिसत नाम की कोई चीज नहीं है। ये तीनों देश इस्लाम के नाम पर हिन्दुओं पर जुल्म और सिर्फ जुल्म करते आ रहे हैं। इन तीन देशों को इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। इस्लाम के नाम पर कलंक हैं ये तीनों देश।

1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उसने तब ऐसा किया, जब वहां अच्छी-खासी संख्या में अल्पसंख्यक यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रहते थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी, जो 2011 में घटकर 3.7% हो गई और अब महज 1.6% रह गई है। दरअसल, 1947 से ही पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार शुरू हो गया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है।

1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, तभी से वहां धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार शुरू हो गया। हिन्दु महिलाओं का अपहरण कर उनका जबड़ीया धर्मांतरण किया जाने लगा, अल्पसंख्यकों को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जाने लगा, हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाने लगा, हिन्दुओं की हत्याएं की जाने लगी, उनके घरों को आग की भेंट चढ़ाई जाने लगी। इन्ही कारणों से वर्ष 1947 में वहां की आबादी 23% थी, जो अब मुश्किल से 1.6% रह गई है। कहां गये ये अल्पसंख्यक? या तो वे मुसलमान बना दिये गये या मार दिये गये या वहां से पलायन कर गये? यूरोपीयन युनियन संसद की मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष एक हजार वहां के अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। मानवाधिकार संगठनों और पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान में हर साल करीब एक हजार हिन्दु लड़कियों का अपहरण कर जबड़न उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनकी शादी मुसलमानों से करा दी जाती है। इनमें बड़ी तादाद में नाबालिक लड़कियां होती है। पाकिस्तानी महिला पत्रकार आयशा असहर की माने तो पाकिस्तान में हर महीने कम से कम 20-25 हिन्दु और ईसाई लड़कियां, मुस्लिम बलात्कारियों की शिकार बनती हैं। स्थितियां इतनी विकट है कि पेशावर जैसे कई इलाकों में हिन्दु और सिख, शवों का दाहकर्म न कर पाने के कारण दफनाने के लिए मजबूर हैं। हिन्दु मंदिरों और सिख गुरूद्वारों पर हमले होते ही रहना तो आम बात है। पाकिस्तान में हिन्दुओं पर किये जा रहे दिल दहला देने वाले जुल्मों की कोई सीमा नहीं है। पाकिस्तान हिन्दु काउंसिल की माने तो धार्मिक उत्पीड़न के चलते हर साल पांच हजार हिन्दु पाकिस्तान से भारत पलायन कर रहे हैं।

1947 में पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में हिन्दुओं की आबादी 31% थी, जो घटकर 1951 में 22%, 1961 में 18.5%,

1974 में 13.5%, 1981 में 13. 13%, 1991 में 11.6%, 2001 में 9. 8% और 2011 में 7.8% हो गई। जबकि इस अवधि में बांग्लादेश की आबादी तीन गुनी बढ़ी है। न्यूर्याक स्टेट युनिवर्सिटी के शोधकर्ता शची दास्तीदार ने 2008 में किये गये अपने शोध में पाया था कि 4 करोड़ 90 लाख हिन्दु बांग्लादेश से गायब हो चुके हैं। धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की ऐसी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। जाहिर है कि इन हिन्दुओं को या ता मार डाला गया या धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया गया या फिर बांग्लादेश से पलायन को मजबूर कर दिया गया। सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर मुसलमानों द्वारा हर तरह का जुल्म किया जाता है। बांग्लादेश के लेखक सलाम आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1947 से 1991 के बीच प्रतिदिन औसतन 475 लोग यानि हर साल 1 लाख 73 हजार 375 हिन्दू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य होते थे। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी 3 करोड़ 25 लाख होती।

बांग्लादेश में 'शत्रु संपत्ति अधिनियम' वहां के अल्पसंख्यकों के लिए काल साबित हो रहा है, क्योंकि यह कानून अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन-जायदाद से बेदखल करने का हथियार बना हुआ है। इस कानून की वजह से बांग्लादेश में रह रहे लाखों अल्पसंख्यकों को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मो० गुलाम रब्बानी और ढ़ाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अबुल बरकत ने लिखा है कि 'शत्रु संपत्ति कानून' की वजह से देश में 1965 से 2006 के दौरान हिन्दुओं की 26 लाख एकड़ जमीन दूसरों के कब्जे में चली गई। इस कानून के कारण चटगांव में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की 22% जमीन उनके हांथों से निकल गई। वास्तव

Tribal Hindu housewives, gang raped by Islamic fanatics. The insult made them speechless (Mukto-Mona.com)

में बांग्लादेश से हिन्दुओं और बौद्धों को पलायन की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह कानून भी है। साल 1971 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान और उसके बाद 2009 में फिर अवामी लीग पुन: सत्ता में आयी तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 'वेस्टेड प्रोपर्टी एक्ट' और 'वेस्टेड प्रोपर्टी रिर्टन एक्ट' बनाकर हिन्दुओं से छिनी गई जमीन को उन्हें वापस लौटाने का असफल प्रयास किया। ऐसा इसलिए कि आज तक एक भी हिन्दु की छिनी गई जमीन को लौटायी नहीं जा सकी है। इस समय वेस्टेड प्रोपर्टी रिर्टन एक्ट से जुड़े करीब दस लाख अल्पसंख्यकों, खासकर हिन्दुओं के मुकदमे बांग्लादेश के विभिन्न अदालतों में लंबित है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं को हत्या तथा अन्य संगीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वहां पर पिता के सामने बेटी और माँ-बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। बांग्लादेश में हिन्दु महिलाओं का उत्पीड़न और जबड़ीया धर्मांतरण जैसे उत्पीड़न को सहना पड़ता है। वर्ष 2016 के अक्टूबर-नवम्बर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दु समुदाय पर हुआ हमला उस समय काफी चर्चा पर रहा था, जिसमें नसीरनगर इलाके में भीड़ ने 15 हिन्दु मंदिरों पर हमला कर उनको धरासायी कर दिया था तथा देवी-देवताओं के मुर्तियों को तोड़ दिया था और हिन्दुओं के एक सौ घरों को आग के हवाले करके लूटपाट की थी। वर्ष 2012 में बौद्ध मंदिरों पर हमला किया था, जिस दौरान कुछ बौद्धों की मौतें हो गई थी। कुछ बौद्धों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। उस दौर में जिन हिन्दु मंदिरों पर हमला किये किये गये उनमें जगन्नाथ और गौरा मंदिर उल्लेखनीय है, क्योंकि ये दोनो मंदिर आस्था के बड़े केन्द्र माने जाते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के पास तीन ही रास्ते हैं-पहला की आत्महत्या कर लें, दूसरा की धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाये और तीसरा की देश से पलायन कर जाये। इन तीनों में तीसरा रास्ता ही सहुलियत वाला है।

अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह वहां भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अनेकों तरह से सताया जाता है। वहां भी अल्पसंख्यकों को या तो मुसलमान बना दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई या वहां से पलायन कर गये। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में हिन्दुओं और सिखों की आबादी सात लाख हुआ करती थी, जो वर्तमान में घटकर महज पंद्रह सौ रह गई है। सिर्फ पिछले तीन दशकों में 90% हिन्दु और सिख अफगानिस्तान को छोड़कर पलायन कर चुके हैं और शेष इस्लामिक कट्टरपंथियों के शिकार बन चुके हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हिन्दुओं और सिखों के डेलीगेट की बस पर किया गया फिदाइन हमला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। अफगानिस्तान में चले युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के

पाकिस्तानी रिफ्यूजी हसीना बेन

चलते वहां सिखों और हिन्दुओं का सफाया हुआ, जिसे सारी दुनियां ने देखा। सारी दुनियां ने देखा कि अफगानिस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतीमा को तोप के गोले दागकर तोड़ा गया।

म्यांमार के अकरान में रह रहे हिन्दु, रोहिंग्या मुसलमान के हांथों बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। हिन्दुओं के कोई-कोई गांव का पूरी तरह से सफाया हो गया है। बहुत दिन नहीं हुए, जब वहां के कब्र में दफनाये गये करीब एक सौ हिन्दुओं के शव मिले थे।

ये तो विदेशों की घटनाएं हैं। देश में भी हिन्दुओं का कोई कम धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। मसलन, कश्मीर को ही ले लीजिए। 1979-80 में कश्मीरी पंडित दिल को दहला देने वाली धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ जमकर अनगिनत संख्या में दुष्कर्म किया गया है, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। उनके जमीन-जायदाद को अवैध रूप से कब्जा ली गई है। उनको, उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया है। करीब पांच लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से जबरन निष्कासित कर दिये गये हैं। उस समय केन्द्र में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तथा नेशनल काफ्रेंस की सरकार थी। 30 वर्ष बीत गये, आज तक एक भी निष्काषित कश्मीरी पंडित को कश्मीर में वापस नहीं बसाया जा सका है। कांग्रेस द्वारा पैदा की गई यह समस्या इतनी दुरूह है कि मोदी सरकार के साढ़े पांच वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी जस की तस बनी हुई है।

★ हिन्दुओं पर हो रहे भारी जुल्म को कुछ कम करने का कानून है 'नागरिकता संशोधन बिल'

:- आजादी के समय से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे भारी जुल्म को कुछ कम करने का कानून है 'नागरिकता संशोधन बिल'। उपरोक्त तीनों देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित हिन्दुओं के घर वापसी का बिल है, मूल वतन को लौटाने का बिल है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तोड़फोड़, आगजनी और अराजकता फैलाकर इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी के देशद्रोही चरित्र को न सिर्फ दर्शाता है, बल्कि भारत से हिन्दुओं को खदेड़ने के नियत को भी दर्शाता है। इसी कांग्रेस पार्टी का कारनामा है कि 1979-80 में पांच लाख कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से प्रताड़ित कर कश्मीर से ही खदेड़ दिया गया, उनको उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जो 30 वर्षों से दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषित कर रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए को खत्म कर देगी। अर्थात् देश-द्रोहियों, अलगाववादियों को खुली छूट दे देगी की वे देश को तोड़ने के लिए देश भर में कोई कितना भी तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, वह निर्दोष ही बना रहेगा। उनके विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। देश का मुस्लिम समुदाय, देश के हिन्दु समुदाय को देश के किसी भी इलाके से खदेड़ दे, उसे कानूनी तौरपर जायज माना जायेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही पार्टी, अलगाववादी पार्टी नहीं माना जाये, तो और क्या माना जाये? कांग्रेस पार्टी के क्रिया-कलापों से लगता है कि यह पार्टी भारत को इस्लामिक देश बनाकर ही दम लेगी।

मुसलमान इस्लामिक देशों या मुस्लिम बहुल देशों में नागरिकता पा सकते हैं, लेकिन हिन्दुओं को कश्मीर की तरह अपने ही देश से खदेड़ दिया जायेगा, तो वे भारत को छोड़कर और कहां जायेंगे। विभाजन के बाद भारत में रह रहे हिन्दु, देश के विभाजन के पहले भारत के ही नागरिक थे। लेकिन, विभाजन के बाद से ही देश में उनका धार्मिक उत्पीड़न भयानक रूप से होने लगा है तो वैसे में वे शरण लेने के लिए किस देश की ओर देखेंगे? हिन्दुओं का दुनियां में भारत को छोड़कर कोई दूसरा देश नहीं है। बहुत प्राचीन काल से ही भारत हिन्दुओं का देश रहा है। भारत हिन्दुओं का मूल देश है, इसलिए देश का बंटवारा होने के बाद से ही इस्लामिक देश पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए हिन्दुओं का पाकिस्तान से पलायन कर भारत आना स्वभाविक है। भारत की आत्मा और नियती हिन्दुओं से जुड़ी हुई है, चाहे वे दुनियां के किसी भी देश में क्यों न रह रहे हो। इस नागरिकता संशोधन बिल के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार ही नहीं, दुनियां भर के किसी भी देश में धार्मिक आधार पर सताये जा रहे हिन्दु भारत के नागरिक बन सकेंगे, तभी भारत से उनका खोया हुआ रिस्ता भारत से स्थापित हो सकेगा। वर्षों बाद किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गये हिन्दु पुनः अपने परिवार से मिल सकेंगे। यह सौ फिसदी स्वभाविक भी है और न्यायोचित भी। इसलिए दूसरे देशों में धर्म के आधार पर सताये गये हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को हर हालत में नागरिकता संशोधन बिल को पूरी तरह से लागू कर उनको लाभ दिलाया ही जाना चाहिए। ऐसा किये जाने से किसी कारणवश अपने देश से बिछड़ गये हिन्दुओं के मन में अपने मूल देश भारत के प्रति गौरव और अधिक बढ़ जायेगा। इतना ही नहीं दुनियां के सभी देश अपने-अपने देश में बसे हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे, जो देखा ही जाना चाहिए। हिन्दुओं और सिखों में खासियत है कि ये जिस देश में बसे हुए हैं, उस देश को तन-मन से अपना मानते हैं। उस देश के विकास में जी-जान से जुटे रहते हैं और उस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए यदि कारणवश यह भटक कर अपने घर से बाहर चले गये किसी व्यक्ति को वापस अपने घर लौटने से कैसे रोका जा सकता है? अपने देश से

भटक कर बाहर गया हुआ कोई व्यक्ति अपने घर नहीं लौटेगा तो कहां जायेगा? इसलिए कश्मीर से मुसलमानों द्वारा जबरन खदेड़े गये कश्मीरी पंडितों को पुनः कश्मीर में बसाने के लिए मोदी सरकार को युद्ध स्तर पर अविलंब हर संभव प्रयास करनी चाहिए। इस बात को देश के हिन्दुओं को अच्छी तरह समझाना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी तथा अमित शाह और क्या कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। जमाने के बाद भारत को लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री और सरदार पटेल जैसा गृहमंत्री मिला है। अब कोई पाकिस्तान, भारत की एक इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। जैसा कि 1947 में पंडित नेहरू के समय में पाकिस्तान, भारत के कश्मीर की एक तिहाई जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नाम से जाना जाता है। अब कोई चीन, भारत के एक इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा, जो 1962 में पंडित नेहरू के समय में 72 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये बातें पाकिस्तान के विरूद्ध 2018 में पहली बार भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में भारत द्वारा पहली बार पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक से साबित हो जाता है। वर्ष 2018 में भारत द्वारा 77 दिनों तक डोकलाम में चीनी सेना को न सिर्फ रोके रहने बल्कि वापस लौट जाने को बाध्य करने को यानि भूटान में चीनी सेना के प्रवेश को रोकने से भी यह बात प्रमाणित हो जाती है। इससे यह भी साबित होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को कितनी मजबूती से बाहरी हमलों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि आज विश्व की महाशक्ति चीन भी भारत की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने से डर गया है। इसलिए हर भारतीय नागरिक का पुनित कर्तव्य है कि पूरी ताकत से मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करे और देश को विघटन करने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में बुरी तरह पटखनी देकर उनकी विघटनकारी मंसूबों पर पानी फेर दे, फेर दिया ही जाना चाहिए।

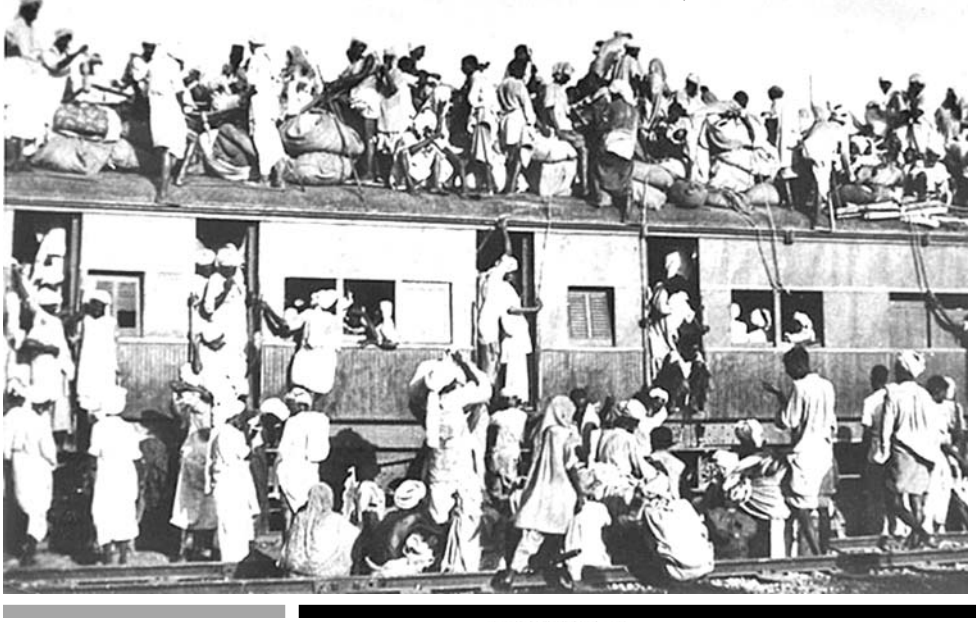

★ **नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी?** :- 11 दिसम्बर 2019 को कांग्रेस पार्टी की वजह से मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत पड़ी। अगर धर्म के आधार पर 1947 में देश का विभाजन नहीं किया गया होता तो, संसद के दोनो सदनों से इस बिल को पारित कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जाती है और भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तें क्या है? घुसपैठ रोकने के लिए और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों की मदद करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 के पहले तक पांच बार 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संसोधन किया जा चुका है। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। 2019 में मोदी सरकार को संशोध न करनी पड़ी, जो हर लिहाज से न्यायोचित है।

भारतीय संविधान का प्रारंभिक शब्द 'इंडिया डैट इज भारत....' भारतीय गणतंत्र को राष्ट्र राज्य की मान्यता देते हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के मुताबिक राज्य पुरातन सभ्यता और सांस्कृतिक

पहचान का उत्तराधिकारी होता है और उसके ऊपर पुरातन पहचान को बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है। इसी उत्तरदायित्व के पालन में नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा पड़ोसी राज्य में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को राहत देना भारत की नैतिक एवं संवैधानिक बाध्यता है। भारत की संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का अनुमोदन भारतीय सभ्यता के एक गहरे घाव पर मरहम का काम करेगा।

★ असंवैधानिक है नागरिक संशोधन बिल का विरोध :- स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका के शिकागो में 'विश्व धर्म संसद' में अपने संबोधन में कहा था-'मुझे भारत देश का नागरिक होने पर गर्व है, जिसने सभी धर्मों और दुनियां के सभी देशों के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है'। मोदी सरकार ने भारत की इसी विरासत पर आधारित CAA या CAB कानून बनाया है। भारत को दुनियां हिन्दु देश के रूप में मानती, जानती है। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को समान्य बताते हुए सउदी प्रिंस ने कहा था-'भारत तो हिन्दु देश है'। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर वहां के अल्पसंख्यकों का दिल को दहला देने वाला उत्पीड़न एक सच्चाई है। इन तीन देशों में अल्पसंख्यक तबके के लोगों को सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है कि वे अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान नहीं बनना चाहते हैं। CAA या CAB कानून उन तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर भारत आये ऐसे उत्पीड़ित विस्थापितों को सुरक्षा प्रदान करने का कानून है। इसलिए भारत पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को

शरण दे रहा है तो विपक्ष को आपत्ती क्यों हो रही है। ऐसे में विपक्ष के हिंसक विरोध से साफ तौरपर यह संदेश जाता है कि प्रदर्शनकारियों को भारतीय संविधान के प्रति आस्था नहीं है। अर्थात् विपक्ष संविधान को बचा नहीं रहा है, बचाने का नाटक कर रहा है। यह विपक्ष का देशद्रोही हरकत नहीं तो और क्या है?

देश के सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषित कर दिया है कि वे अपने-अपने राज्य में CAA या CAB कानून लागू नहीं होने देंगे। ये सातों राज्य हैं-ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, कमलनाथ का मध्य प्रदेश, भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़, अमरेन्द्र सिंह का पंजाब, पी. विजयन का केरल और अरविन्द केजरीवाल का दिल्ली। ऐसा इसलिए कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, जो सरासर गलत है।

बात यह है कि संविधान की सातवी अनुसूचि की प्रविष्टि 17 के अनुसार नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाना पूरी तरह से संघीय सरकार के अधिकार में आता है। विशुद्ध रूप से संघ के अधिकार की परिधि में आता है। संविधान के अनुसार देश के किसी भी राज्य के पास संघ द्वारा पारित कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सातों राज्यों के मुख्यमंत्री देशद्रोही हैं। इसलिए भारत सरकार को इन सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना चाहिए तथा चुनाव आयोग को इन सभी मुख्यमंत्रियों की पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। विपक्ष का नेता होने के कारण मोदी सरकार की आलोचना करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश की एकता, अखण्डता और साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने के लिए राजनीति करना किसी तरह से उचित नहीं है। आखिर देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से कैसे देखा जा सकता है? यह दुखद है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेता की भूमिका मुसलमानों के बीच झूठ फैलाकर उनमें भय पैदा कर रहा है तथा उन्हें हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए न केवल प्रेरित कर रहा है बल्कि भरपूर सहयोग कर रहा है।

★ नागरिकता संशोधन बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है :- नागरिकता संशोधन बिल मुसलमान या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। इसलिए इस बिल को लेकर मुसलमानों को जरा सा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं

है। वे भारत के नागरिक हैं और भारत के ही नागरिक बने रहेंगे। यह नागरिकता छिनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का बिल है। इस बिल का किसी भी भारतीय नागरिक को कुछ भी नुकसान पहुंचाने से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह कहता है कि यदि आप आज नागरिक हैं तो कल से नागरिक नहीं माने जायेंगे। भारतीय नागरिकता कानून जस का तस है। भारतीय नागरिक पहले की तरह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्र हैं। नागरिकता संशोधन बिल भारतीय नागरिकों के अधिकारों को न तो निरस्त करता है और न ही कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इस बिल को लेकर औसत मुसलमान न तो चिंतित है और न ही डरा हुआ है बल्कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारतीय मुसलमानों में भ्रम फैलाकर डराया जा रहा है कि इस बिल के लागू हो जाने से उनकी नागरिकता खत्म हो जायेगी। अगर विपक्ष की दृष्टि में नागरिकता संशोधन बिल में भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खत्म किये जाने से संबंधित एक भी शब्द है तो इस बिल से उस शब्द को खोजकर जनता के सामने पेश करे। सच्चाई तो यह है कि भारतीय मुसलमानों में भ्रम फैलाकर विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में देश के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को देशद्रोह के आरोप में तत्काल प्रभाव से विपक्षी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि

विपक्ष देश की संप्रभुता तारतार कर देने पर आमदा है।

बांग्लादेश बनते समय जितने लोग भारत में आये, सभी को भारतीय नागरिकता मिली। बगैर हिन्दु-मुसलमान का भेदभाव किये। बावजूद इसके किसी भी तरह के उत्पीड़न के शिकार मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए मौजूदा कानून में केवल प्रावधान ही नहीं है बल्कि पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने 566 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इसलिए नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष का यह प्रचार कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है तो सौ फिसदी झूठ है, भारत के धर्म निरपेक्ष साख को खोखला करता है। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, देश में रह रहा कोई भी मुसलमान भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करेगा तो उसपर खुले दिल से विचार किया जायेगा। इसका पुख्ता प्रमाण है गुजरात में पाकिस्तान से आयी महिला हसीना बेन। जिसे 19 दिसम्बर 2019 को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। वह मूल रूप से गुजरात की रहने वाली थी, जो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पति के मौत के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। हसीना बेन ने दो साल पहले ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था।

यहां पर इस बात का का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पाकिस्तान के बलुचिस्तान में पाकिस्तान सरकार बलुचों पर भारी सितम ढ़ा रही है, पाकिस्तान सरकार द्वारा बलुचों का बेरहमी से उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा इसलिए की बलुच आत्म-निर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान धोखा देकर अवैध रूप से बलुचिस्तान पर कब्जा किये हुए है और वहां की प्राकृतिक संपदा का बुरी तरह से दोहन कर रहा है। इसलिए बलुचिस्तान, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। अतः बलुचिस्तान की समस्या को किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर किये जाने वाली उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

☆ पूर्वोत्तर के राज्यों का भी नागरिक संशोधन बिल से कोई खतरा नहीं है :- पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और पहचान बनी रहे, इसके लिए नागरिकता संसोधन बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके प्रावधानों को देश के कुछ हिस्से में लागू नहीं किया जायेगा। देश के ये हिस्से संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा विनियम 1873 के अंतर्गत 'इनर लाइन परमिट' वाले राज्य। छठी अनुसूचि में शामिल जनजाति क्षेत्र हैं-कार्बी अंगलोंग (असम), गारो हिल्स (मेघालय), चकमा जिला

(मिजोरम) और त्रिपुरा के आदिवासी जिले। इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों को अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड समेत कुछ क्षेत्रों में यात्रा को प्रतिबंधित करता है।

दरअसल, देश के सभी क्षेत्रों के लोग एक जैसे नहीं है। इसलिए सभी के ऊपर एक जैसा कानून लागू किया जाना न तो संभव है और न ही उचित है। ऐसा इसलिए कि उन्हें सुरक्षा देना और उनकी पहचान बनाये रखने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। यही वजह है कि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूचि में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसलिए देश के कुछ इलाके को स्वशासी बनाया गया है। यहां तक की देश के दूसरे क्षेत्र के नागरिकों को उन क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनके अपने नियम-कानून हैं। उन्हें अपनी परंपरा के मुताबिक नियम बनाने की आजादी है। संसद द्वारा बनाये गये कानून उन पर लागू नहीं होते है। दीवानी और फौजदारी विवादों में लागू होने वाले कानून उन पर लागू नहीं होते। नागरिकता संशोधन बिल में भी उनकी स्वायतता को सम्मान दिया गया है। यह जरूरी था, ताकि विशेष परंपराओं के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और बोल-चाल क्षेत्रों की विशेष पहचान को कायम रखा जा सके। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल होने के कारण मेघालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह त्रिपुरा का भी एक बड़ा हिस्सा इससे बचा रहेगा। असम के मूल निवासियों की रक्षा होगी। अरूणाचल प्रदेश में भी यह बिल लागू नहीं होगा। इसी तरह इनर लाइन परमिट से सुरक्षित नागालैंड और मिजोरम में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, पहचान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अब तो मोदी सरकार ने समिति बनायी है, जो असम समझौते के क्लॉज-6 के तहत सांस्कृतिक एवं सामजिक पहचान कर उनकी सभी चिंताओं को दूर करेगी। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट www.psfsm.in

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े।

खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

Supreme court allows Netflix to show 'gay Jesus' parody in Brazil

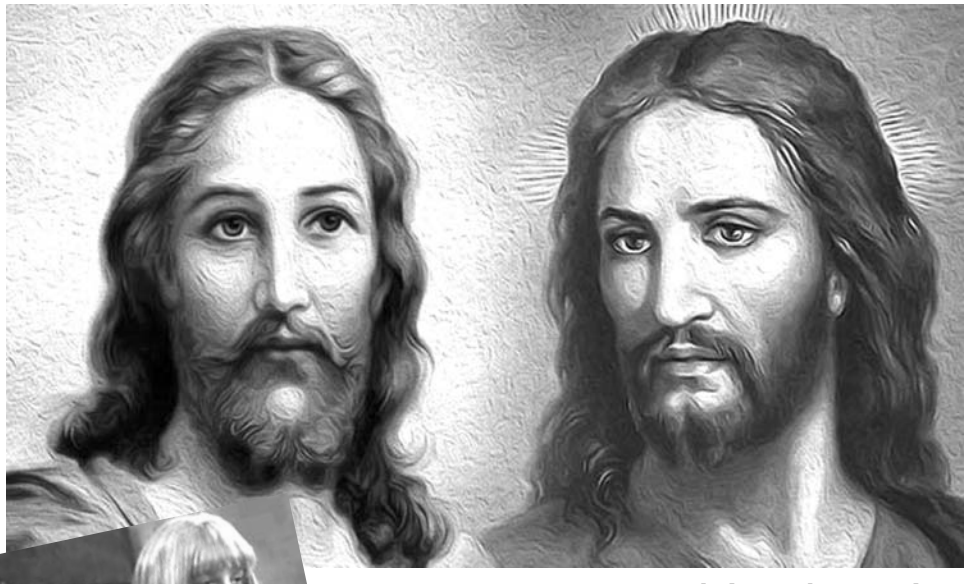

A federal court in Brazil has sided with Netflix following a ruling that had banned a comedy depicting Jesus Christ as gay. The film was the reason for an attack on the company that amde it on Christmas Eve. A judge in Brazil's top court on Thursday rejected a lower court's ruling that prevented Netflix from showing a comedic film that depicts Jesus Christ in a homosexual relationship.

The president of Brazil's Supreme Federal Court Judge Antonio dias Toffoli ruled in favor of the streaming platform, overturning a temporary injunction that had ordered Netflix to stop showing the the satirical Christmas special "The First Temptation of Christ." "One cannot suppose that a humorous satire has the ability to weaken the values of the Christian faith, whose existence is traced back more than 2,000 years, and which is the belief of the majority of Brazilian citizens," the judge said. Netflix had filed a complaint on Thursday challenging the earlier decision to censor the film, which was never pulled from the platform. Lawyers for the company argued that "the court decision aims to silence the group through fear and intimidation."

☞ **Attack on the production company**

The lower court's ruling banning the film, made public on Wednesday, came after a petition in favor of banning the satire received thousands of signatures. The film, which depicts Christ coming home for this 30th birthday with his boyfriend Orlando, drew the ire of conservative politicians, the Catholic church, and Catholics as well as protestants in Brazil following its December 3 release. On Christmas Eve, a group of masked men attacked the headquarters of Porta dos Fundos, the company that produced the film, with molotov cocktails. No one was injured. Three men later claimed responsibility for the attack in a video posted online.

☞ **A 'cultural war' and 'Christian values'**

The lower court judge Benedicto Abicair ordered a suspension of the film until courts had time to consider the case brought against it by the Don Bosco Center for Faith and Culture, a Catholic organization. The group argues that the movie hurts the "honor of millions of Catholics." Abicair's ruling, which only applied to Brazil, went against an earlier decision in support of airing the film. The judge argued that the decision "is beneficial not only to the Christian community, but to Brazilian society, which is mostly Christian." In a statement given before the federal court's ruling, Porta dos Fundos, an award-winning film company, said they value free speech and that the group "trusts the courts to defend the Brazilian constitution." The case comes against a backdrop of what some groups are calling a "cultural war," led by far-right Brazilian President Jair Bolsonaro, against art projects that challenge "Christian values."kp/ng (AFP, AP)

आखिर निर्भया को मिल गया इंसाफ

न्यायालय ने दिया दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा

● ओम प्रकाश/ब्रजेश कुमार मिश्रा

राजधानी के चर्चित बीटेक छात्रा हत्याकांड में शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी करार दिए गए राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने राहुल को शुक्रवार को इस मामले में दोषी करार दिया था। इस मामले में अदालत ने सिर्फ 16 कार्य दिवस में 30 गवाहों के बयान दर्ज कर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की। दोनों पक्षों की बहस महज दो दिन में पूरी की गई। आरोपित की ओर से बचाव में कोई गवाह पेश नहीं किया गया। सीबीआई के अधि वक्ता राकेश प्रसाद ने 25 अक्टूबर से 8 नवम्बर के बीच 30 गवाहों का बयान दर्ज कराया। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने राहुल राज को लखनऊ जेल से हिरासत में लेकर रांची आई थी। दोषी ने लखनऊ में भी दुष्कर्म किया था और गिरफ्तारी के बाद वहां की जेल में बंद था। सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। जांच अधिकारी ने 19 सितम्बर को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई 23 वर्षीय आरोपित को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी। इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था।

☞ **क्या है पूरा मामला** :- रांची के सदर थाना क्षेत्र के बूटी बस्ती में 16 दिसम्बर 2016 की रात बीटेक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। रांची निर्भया कांड में आरोपी राहुल रॉय की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस घिनौने कांड का पर्दाफाश होगा. लेकिन ये राज्य में ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी, जो अखबारों की सुर्खियां तो बनीं रही पर राज्य की जांच एजेंसियां मामले का खुलासा कर पाने में असमर्थ रही। इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा करने में राज्य की पुलिस और सीआईडी असफल रही है। जहां राजधानी रांची में हुए बहुचर्चित निर्भया हत्याकांड में झारखंड पुलिस और सीआइडी के हाथ कुछ नहीं लगा और दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को दी गई और सीबीआइ ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 16 दिसंबर 2016 को बूटी बस्ती में रेप के बाद छात्रा निर्भया की हुई निर्मम हत्या कर दी गई थी। बूटी बस्ती में रहकर बीटेक की पढ़ाई करने वाली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी। फिर उसके शव को तेजाब से जलाने का प्रयास किया गया था। राज्य की जांच एजेंसियों की असफलता के बाद निर्भया हत्याकांड मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद सीबीआई ने निर्भया हत्याकांड के आरोपी राहुल रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। रांची की निर्भया कांड में कई राज जाने के लिए गिरफ्तार किये गये आरोपी राहुल रॉय को सीबीआई ने पांच दिनों की रिमांड पर लिया। सीबीआई की टीम ने राहुल से यह जानने का प्रयास किया ,कि आखिर घटना को उसने किस तरह से अंजाम दिया था। घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे। राहुल को रिमांड पर लेने के लिए इस मामले के जांच अधिकारी परवेज आलम ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन भी दे दिया था. उल्लेखनीय है कि निर्भया हत्याकांड में धारा 376, 511 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

रांची के निर्भया कांड मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में आरोपी राहुल रॉय को अनुज कुमार गुड़िया की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में सीबीआई ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को नौ दिन और बढ़ाए जाने की मांग की। सीबीआई की टीम ने बीटेक के

जानिए कब-क्या हुआ था :-

☞ 16 दिसंबर 2016 :- सुबह आठ बजे इस हत्याकांड के बारे में पुलिस को सूचना मिली फिर जांच शुरू की गई।

☞ 17 दिसंबर 2016 :- शव का अंतिम संस्कार किया गया. शक के आधार पर छह युवकों को हिरासत में लिया गया फिर पूछताछ कर छोड़ दिया गया था।

☞ 18 दिसंबर 2016 :- फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की सूक्ष्म जांच की। शहर में इस हत्याकांड को लेकर लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला।

☞ 19 दिसंबर 2016 :- एक हजार छात्रों ने बूटी मोड़ चौराहे को चार घंटे तक जाम किया। पुलिस ने फिर चार को हिरासत में लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला था।

☞ 20 दिसंबर 2016 :- पुलिस का दावा मामले का शीघ्र खुलासा कर लेंगे।थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

☞ 21 दिसंबर 2016 :- निर्भया के कॉलेज जाकर पुलिस ने उसकी सहेलियों से जानकारी ली थी।

☞ 22 दिसंबर 2016 :- निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए फिर सड़क पर उतरे लोग।

☞ 22 जून 2019 :- निर्भया हत्याकांड के ढाई साल बीत जाने के बाद सीबीआइ की टीम ने बीटेक के छात्र राहुल रॉय को गिरफ्तार किया।

☞ 24 जून 2019 :- सीबीआइ की टीम ने निर्भया हत्याकांड के आरोपी राहुल रॉय को 5 दिनों की रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेकर पूछताछ में घटना की परत खुलती चली गई।

☞ 13 सितंबर 2019 :- सीबीआई ने चार्ज शीट दाखिल की।

☞ 20 दिसंबर 2019 :- आरोपी दोषी करार।

☞ 21 दिसंबर 2019 : आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई।

छात्र राहुल रॉय को 22 जून को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने उसे पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया था। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड के लिए आवेदन दिया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी राहुल को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। 16 दिसम्बर 2016 को रांची स्थित बूटी बस्ती में एक इंजीनियरिंग की छात्रा की रेप के बाद जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। नालंदा जिले के घुरा गांव निवासी आरोपी राहुल राज उर्फ अंकित उर्फ आर्यन उर्फ रॉकी राज (23) को सीबीआई ने लखनऊ जेल से हिरासत में लिया था, जहां वह दुष्कर्म के एक केस में बंद था। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी परवेज आलम कर रहे थे। सितम्बर 2016 में राहुल नालंदा से भागकर बूटी बस्ती पहुंचा था। उसने पीड़िता के घर के पास स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में एक कमरा रहने के लिए लिया था राहुल रात में ऑटो चलाता था। राहुल बूटी बस्ती में रहने के दौरान वहां रहने वाली लड़कियों पर नजर रखता था। घटना वाले दिन राहुल ने मृतक छात्रा को अकेला पाया और उसके घर मे घुस गया। घटना को अंजाम देने से पहले राहुल ने रात 10 बजे ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जो अगले दिन 10 बजे तक बंद था। आरोपित राहुल के दोस्त अक्षय कुमार ने गवाही में बताया था कि घटना के कुछ घंटों बाद उसे लेकर राहुल मौके पर पहुंचा था। उस समय युवक के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। घटना की शाम राहुल पटना चला गया था। वहां से फोन कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेता था। उसने बताया कि घटना के कुछ दिनों पहले आरोपित राहुल बिहार के नालंदा से रांची आने पर उसे एक किराए का रूम दिलाने के लिए कहा था। रूम नहीं

मिलने पर मोहल्ले के ही एक मंदिर के पीछे वाले कमरे में स्थाई रूप से रहने की व्यवस्था करा दी थी। मंदिर में रहने के दौरान मोहल्ले के बच्चों से लड़की के बारे में वह अक्सर पूछता था। इस मामले में बीटेक छात्रा की दो बहनों ने अदालत को बताया था कि घटना के कुछ दिन पहले आरोपी राहुल किराए का कमरा लेने के लिए उसके घर आया था। परिवार वालों ने लड़के को कमरा देने से मना कर दिया था। उसी दिन के बाद से कई बार ऐहसास हुआ था कि राहुल उसकी बहन का पीछा कर रहा है। घटना से पहले घर के आसपास उसे घूमते हुए भी देखा गया था लेकिन घटना के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि घटना से दो-तीन माह पूर्व दुर्गा मंदिर के कमरे में राहुल नाम का युवक रुका था जो इस घटना के बाद से लापता है। सीबीआई की टीम मंदिर के एक युवक बंटी से मिली जिसने राहुल के बारे में जानकारी दी। फिर सीबीआई की टीम राहुल के गांव धुरागांव पहुंची। आरोपित के माता-पिता के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया। जांच के दौरान छात्रा के शरीर पर पाए गए स्पर्म का डीएनए टेस्ट कराया गया था। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से आरोपी छात्र के माता-पिता का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से मिलान कराया गया था। पिता के डीएनए टेस्ट से मिलान नहीं हुआ। लेकिन मां के डीएनए रिपोर्ट से स्पर्म का डीएनए रिपोर्ट का मिलान हो गया। सीबीआई ने इसी सबूत के आधार पर राहुल रॉय को पकड़ा। राहुल पर इसके अलावा दुष्कर्म और हत्या के दो और मामले लखनऊ कोर्ट में चल रहे हैं। राहुल का आपराधिक इतिहास रहा है। तीन साल पहले वह अपने चाचा के ब्रह्मभोज में शामिल होने पेरोल पर अपने गांव आया था। रात में सभी पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर वह भाग निकला। पटना पुलिस ने एकंगरसराय थाने में केस दर्ज किया था।

☞ **सीआईडी को भी नहीं मिली थी सफलता :-** रांची पुलिस के साथ संयुक्त रूप से जांच कर रही सीआईडी को भी इस मामले में कुछ खास सफलता नहीं मिल पायी थी. जिसके बाद भारी जनदबाव को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी थी। सीएम की घोषणा के एक साल बीतने के बाद भी इस केस को सीबीआई ने टेकओवर नहीं किया था। राज्य सरकार से सीबीआई को तीन बार लिखित और कम से कम पांच बार मौखिक रूप से कहा जा चुका था कि इस मामले की जांच शुरू करें। लेकिन इसके बावजूद टेक्निकल फॉर्मेट में डेटा रिसीव नहीं होने के कारण सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया ही नहीं था।

☞ **28 मार्च 2018 को सीबीआई ने दर्ज किया था मामला :-** घटना के करीब एक साल बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। निर्भया हत्याकांड में सीआइडी से पहले घटना की जांच जिला पुलिस ने शुरू की थी। लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाने के कारण एसआईटी गठित की गयी थी। एसआईटी के साथ-साथ सीआईडी ने भी समानांतर जांच शुरू की थी। कोर्ट के आदेश पर कई संदिग्धों की डीएनए जांच भी कराई गयी थी। घटना स्थल से पुलिस को जितने साक्ष्य मिले, सभी की एफएसएल जांच भी हुई थी। राज्य सरकार की सीबीआई जांच की अनुशंसा के एक साल बाद सीबीआइ ने 28 मार्च 2018 को मामला दर्ज किया. तब से उम्मीद जतायी जा रही थी कि बूटी बस्ती की बीटेक छात्रा की हत्या के रहस्य से जल्द पर्दा उठ जाएगा।

☞ **दुष्कर्म के बाद की गयी थी हत्या :-** बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को रांची की बूटी बस्ती की रहने वाली बीटेक की छात्रा के साथ कुछ युवकों ने पहले उसे अपने हवस का शिकार बनाया.फिर उसकी हत्या कर शव को तेजाब से जलाने का प्रयास किया था। इस घटना ने राजधानी रांची को हिला कर रख दिया था। घटना के विरोध में स्कूली बच्चों से लेकर शहरवासी सड़कों पर उतरे थे। कई जगह इसके विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला गया

Army will act if Parliament wants PoK back : General Naravane

Army Chief Gen Manoj Mukund Naravane on Saturday said if Parliament wants Pakistan-occupied Kashmir back and we get directive, the Army will take action. "There was a Parliamentary resolution long back that the entire erstwhile State of Jammu and Kashmir is ours. If Parliament wishes that it be ours and we get a directive, we will act on it," Gen Naravane said at the annual press conference of the Army here.

"Indian Army is a professional Army. We are for the people & by the people of India. Our actions are for our countrymen. We function within the ambit of Indian Constitution & core values enshrined in the Indian Constitution," he said. On Siachen, he said, "Siachen is very important to us where one formation is looking after western and northern fronts. It is strategically important. It is from there where collusion can happen."

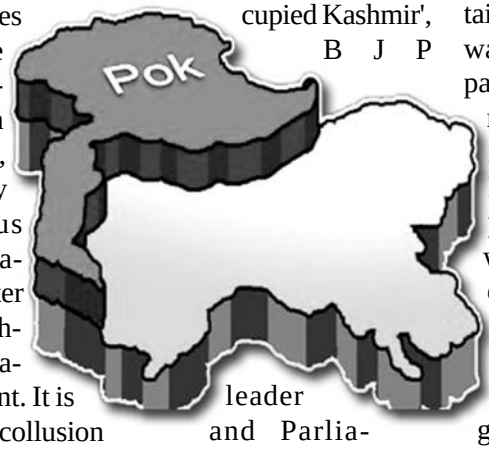

☞ **"Appropriate action ....at appropriate time", says Parl Affairs Minister on PoK**

Shortly after new Army chief Gen Manoj Mukund Naravane said that if Parliament desires, Indian Army can act on getting back 'Pakistan-occupied Kashmir', BJP leader and Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi on Saturday said, "appropriate action will be taken at appropriate time". "....as stated by many of our leaders, appropriate action will be taken at appropriate time," Mr Joshi said here. However, he said, he is 'not hinting' at anything; but maintained that his party has always considered PoK as part of Jammu and Kashmir. Mr Joshi also made it clear that the Narendra Modi-led dispensation stands by its words and even 10-15 days before abrogation of Article 370, critics had said that such a thing is not possible, but the government of the day did take action exactly on those lines.

"....But things happened, like that I am confident that things will happen. This is my assessment," remarked Mr Joshi. During the monsoon session of Parliament, Home Minister and BJP chief Amit Shah had said in the Lok Sabha that for getting back the PoK, the BJP leaders can also give their lives. In fact, even after abrogation of Article 370, the Government of India has retained provisions related to the Pakistan-occupied Kashmir, reserving 24 seats in the legislative assembly of Union Territory of J&K. The J&K Constitution way back in 1956 had earmarked 24 seats in the legislative assembly that were left vacant and not contested during elections.

आर्यभट्ट के अवतार थे डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

● ललन कुमार प्रसाद

आर्यभट्ट के अवतार और बिहार के आइंस्टीन तथा अपने गांव के वैज्ञानिक बाबू कहे जाने वाले दुनियां के महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1942 को आरा से 12 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल बहादूर सिंह और माता का नाम लहासो देवी है। वशिष्ठ बाबू के जन्म के समय उनके पिता सिपाही के पद पर कार्यरत्त थें। वशिष्ठ बाबू तीन भाईयों एवं दो बहनों में सबसे बड़े थे। उनके दोनो छोटे भाईयों का नाम अयोध्या नारायण सिंह उर्फ किशुन सिंह और हरिशचंद्र नारायण सिंह है तथा छोटी बहनों का नाम सीता देवी और मीरा कुंवर है। पांचवी कक्षा तक उनकी पढ़ाई बसंतपुर गांव में हुई थी। वशिष्ठ बाबू के प्रतिभा की पहचान सर्वप्रथम उनके पैतृक गांव के उसी स्कूल के एक मास्टर साहब को हुई थी, जिस स्कूल में पांचवी कक्षा तक वशिष्ठ बाबू ने पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे नेतरहाट चले गये, जहां 1957 में छठी कक्षा में दाखिला लिया और 1963 तक वही पढ़ते रहे। 1963 में हायर सेकेन्ड्री तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी साल पटना के सायंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई हेतु दाखिला लिया।

8 सितम्बर 1965 को वशिष्ठ बाबू ने कैलिफोर्निया (अमेरिका) के बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला लिया। 1966 में उन्हे अमेरिका की अंतरीक्ष एजेंसी नासा में काम करने का मौका मिला। 1967 में कोलंबिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स के निदेशक बने, तब उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। वशिष्ठ बाबू ने 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एण्ड ऑपरेर्टस विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर 1969 में पीएचडी की, जो गणित की दुनियां में तहलका मचा दिया। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू के शोध का विषय जितना जटिल व कठिन था, उतना ही रहस्यपूर्ण था। इसलिए बर्कले युनिवर्सिटी ने उन्हें 'जिनियसो का जिनियस' की उपाधि से नवाजा। पीएचडी करने के बाद 1969 में ही वे वाशिंगटन युनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बने। वशिष्ठ बाबू 1971 में भारत लौट आये और अपने साथ दस बक्सा किताबे ले आये। भारत आने पर आईआईटी कानपुर में प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किया। वहां पर उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने बॉम्बे आईआईटी का रूख किया। बाद में टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच (ट्रांबे) के साथ जुड़ गये। वे टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच तथा स्टैटिक्स इंस्टीच्यूट के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे।

अशोक राजपथ स्थित कुल्हड़िया अर्पाटमेंट के उनके फ्लैट में अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह में वशिष्ठ बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे अपने फ्लैट में ही चक्कर खाकर गिर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल के आइसीयू में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह के इलाज के बाद ठीक होकर अपने

फ्लैट वापस लौट आये। 14 नवम्बर 2019 को सुबह 8 बजे वशिष्ठ बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुरंत उनके मझले भाई अयोध्या नारायण सिंह और भतीजे मुकेश सिंह तथा राकेश सिंह इलाज कराने के लिए पीएमसीएच इमरजेंसी में ले आये, जहां डॉक्टरों ने ईसीजी सहित अन्य जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय सुबह के साढ़े आठ बज रहे थे।

★ वशिष्ठ बाबू सच्चे देशभक्त थे :- वशिष्ठ बाबू को अमेरिका में न पैसे की कमी थी और न बड़े ओहदे की। ऐसा इसलिए की वे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, कोलम्बिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स और वाशिंगटन युनिवर्सिटी में उच्च पदों की शोभा बढ़ा चुके थे। कैलिफोर्निया के बर्कले युनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉ० केली अपनी इकलौती बेटी की शादी वशिष्ठ बाबू से करने को तैयार थे। इसके लिए डॉ० केली ने पटना सायंस कॉलेज के तत्कालिन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ के द्वारा वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह को राजी करने का अनुरोध कराया था और प्राचार्य नगेन्द्र नाथ ने उनकी ओर से पैरवी भी की थी। अगर वशिष्ठ बाबू अमेरिका में बस जाते तो नोबेल पुरस्कार सहित न जाने दुनियां के कितने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे जाते। सारी दुनियां में उनका गुणगान होता रहता, लेकिन देश प्रेम में वशिष्ठ बाबू ने सबकुछ ठुकरा दिया। वे अपने देश की सेवा करना चाहते थे। विदेशों की ऐशो-आराम के बजाय देश के लिए जिना और देश के लिए मरना पसंद था। वे चाहते थे कि देश में वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी में अपना योगदान देना चाहते थे। ऐसा इसलिए कि, जो देश विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता है, वह देश उतना ही खुशहाल और सुखी-समृद्ध होता है। इसलिए डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह 1971 में भारत लौट आये।

★ लाल बहादूर सिंह बेटे के मोह से ऊपर न उठ सके :- हमारे समाज में मान्यता है, यदि पुत्र शादी नहीं करेगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन वशिष्ठ बाबू तीन भाईयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए यदि उनके पिता वशिष्ठ बाबू पर शादी करने का दबाव नहीं भी बनाते तो भी उनका वंश आगे चलता ही, बढ़ता ही। लेकिन, वशिष्ठ बाबू के लिए पिता का भारी दबाव से उभर पाना मुश्किल था। ऐसा ही सबके साथ होता है। भले ही कोई भगवान महावीर और जगतगुरू शंकराचार्य की तरह अपवाद निकल जाये तो बात दूसरी है। भगवान महावीर और जगत गुरू शंकराचार्य तथा आज के स्वामी रामदेव हम सभी को बहुत प्रिय लगते हैं। सभी कहते हैं कि इनके माता-पिता ने देश और समाज के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन जब यह बात अपने पर आती है तो सभी मुकर जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में डबल स्टैण्डर्ड अपनाते हैं। दूसरे का बेटा सन्यासी बने तो बहुत अच्छा लेकिन अपना बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। लाल बहादूर सिंह बेटे का मोह नहीं त्याग सके, जबकि तीन बेटे और दो बेटियों में से एक बेटे का मोह देश का नाम रौशन करने के लिए मानवता की महत्ती सेवा करने के लिए त्यागा जाना चाहिए था। अगर लाल बहादूर सिंह ऐसा कर पाते तो बेटे के साथ वह भी अमर हो जाते। बेहद प्रखर बुद्धि का होने के साथ-साथ वशिष्ठ बाबू का रंग-रूप, कद-काठी बहुत ही आकर्षक था। इसलिए प्रोफेसर जॉन एल. केरी वशिष्ठ बाबू को अपना दामाद बनाना चाहते थे। फिर उनकी इकलौती बेटी को वशिष्ठ बाबू से प्रेम हो गया था। उन्होंने वशिष्ठ बाबू को शादी का प्रस्ताव दिया था। वशिष्ठ बाबू डॉ० केली की बेटी से शादी के प्रस्ताव को मानने के लिए सहमत भी हो गये थे, लेकिन डॉ० केली की शर्त थी की वशिष्ठ बाबू अमेरिका में ही बस जाये। लेकिन वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह नहीं राजी हुए। वशिष्ठ बाबू ने भी डॉ० केली के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए की मुझे अपने देश भारत जाना है। देश की सेवा करनी है। अपने देश के लिए जीना और मरना है। इसलिए 1971 में वशिष्ठ बाबू वापस भारत लौट आये। यदि वशिष्ठ बाबू डॉ० केली की बेटी से शादी कर अमेरिका में बस जाते तो उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में ही नोबेल प्राइज मिल गया होता और जाने-माने यूरोपीय गणितज्ञ के मार्गदर्शन में वे दुनियां के सबसे बड़े गणितज्ञ बन गये होते। अगर वशिष्ठ बाबू देश प्रेम से ऊपर उठकर पूरी मानव जाति के हित की बात सोचते तो पूरे विश्व में अपने समय के महानत्तम गणितज्ञ के रूप में उनकी तूती बोलती। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सायंस कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य गणितज्ञ डॉ० के.के. झा और बिहार के महान गणितज्ञ डॉ० के.सी. सिन्हा का भी यही मत है।

★ आज के बिहार में प्रतिभाओं की कद्र बिल्कुल नहीं है :- प्राचीन

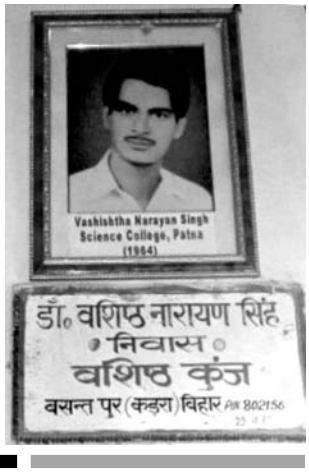

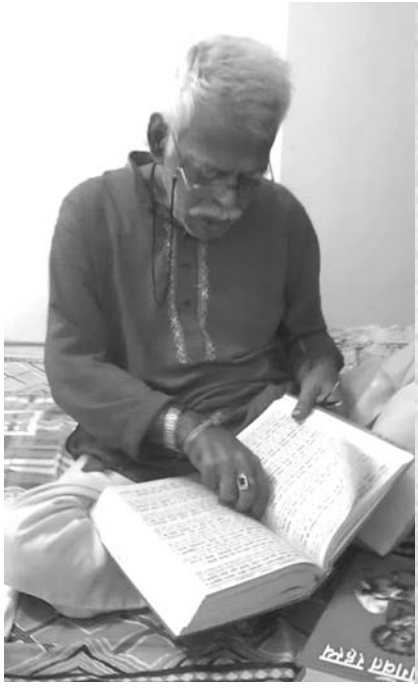

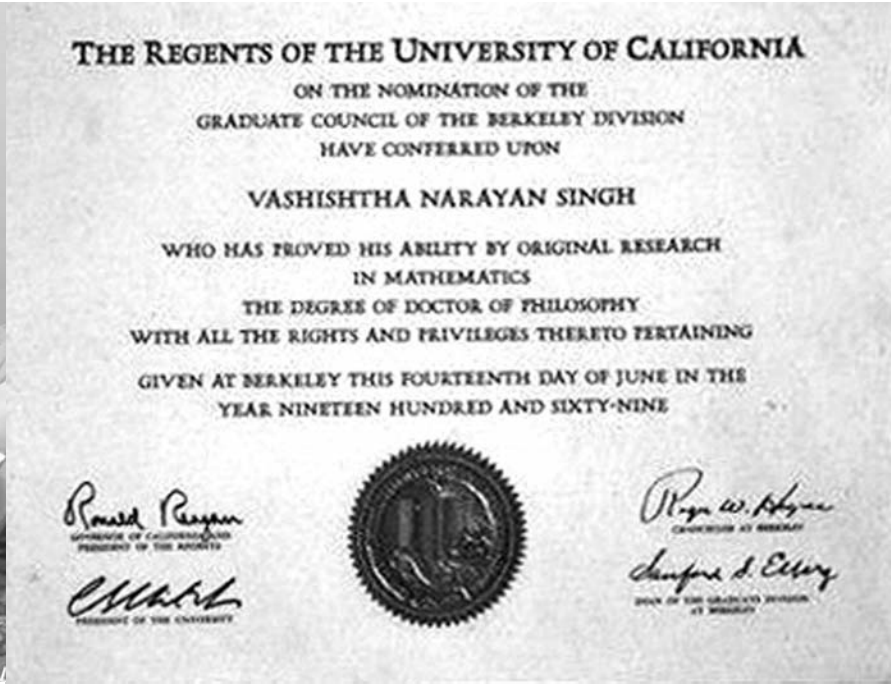

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ON THE NOMINATION OF THE
GRADUATE COUNCIL OF THE BERKELEY DIVISION
HAVE CONFERRED UPON

VASHISHTHA NARAYAN SINGH

WHO HAS PROVED HIS ABILITY BY ORIGINAL RESEARCH
IN MATHEMATICS
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
WITH ALL THE RIGHTS AND PRIVILEGES THERETO PERTAINING

GIVEN AT BERKELEY THIS FOURTEENTH DAY OF JUNE IN THE
YEAR NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-NINE

बिहार में जितनी प्रतिभाओं की कद्र की जाती थी, उतनी विश्व में कही भी नहीं की जाती थी। यही कारण है कि विश्व के पांच प्राचीन विश्वविद्यालयों में से चार बिहार में थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार से बाहर था, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। बिहार के ये चारो विश्वविद्यालय थे-नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों में पूरी दुनियां से लोग पढ़ने-पढ़ाने आया करते थे। इसका सटिक उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय। जहां पूरी दुनियां से लोग पढ़ने-पढ़ाने के लिए आया करते थे। यहां के विद्वानों की विद्वता की तूती पूरी दुनियां के सिर चढ़ बोलती थी। आर्यभट्ट हो या आचार्य चाणक्य, महर्षी पतंजलि हो या बराहमिहिर, विश्व प्रसिद्ध वैध जीवक हो या वात्सायन, इन सबका लोहा पूरी दुनियां मानती थी। अब तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कद्र नहीं है। इस दृष्टि से बिहार पूरे भारत में शीर्ष पर है, इसलिए आज बिहार की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है। यही कारण है कि 60-65 साल पहले तक एशिया का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली पटना युनिवर्सिटी को देश के नैक ग्रेडिंग में A++ के बजाये B+ मिला है। पटना

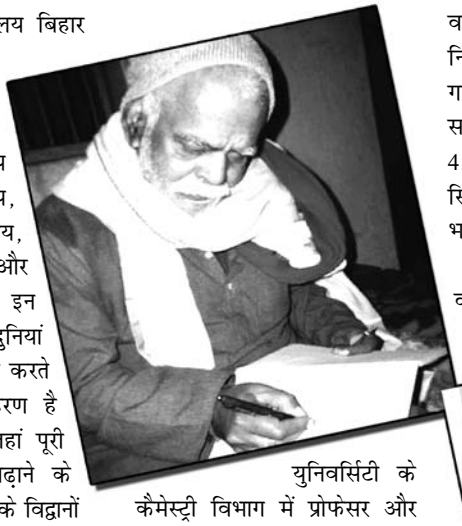

युनिवर्सिटी के कैमेस्ट्री विभाग में प्रोफेसर और हेड तथा नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ० रॉबिनसन के गुरू भाई डॉ० ज्ञानचंद चटर्जी (डॉ० जे.एन. चटर्जी) के ज्ञान का उपयोग बिहार सरकार नहीं कर सकी। बिहार सरकार की उपेक्षा के चलते बिहारवासी उनके ज्ञान का पूरा लाभ नहीं उठा सके। उन्हें रिर्सच करने हेतु बिहार सरकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी, वरना वे भी नोबेल पुरस्कार विजेता होते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिहार के जाने-माने केमेस्ट्री के विद्वान प्रोफेसरों का मत है। आज बिहार में बिहार सरकार द्वारा विद्वानों की कितनी उपेक्षा की जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह है, जिनका निधन 14 नवम्बर 2019 को हो गया। उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष सात महीने थी। वे जीवन के अंतिम 45 वर्षों में मानसिक बिमारी सिजोफ्रेमिया से पीड़ित रहे। अर्थात् भारी कष्टपूर्ण जीवन जीये।

यह कहना गलत है कि वशिष्ठ बाबू जितना पितृ भक्त थे, उतना

मातृ भक्त नहीं थे। सच तो यह है कि वे बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति थे। वे किसी की बात भले ही टाल दें, पर माँ लहासो देवी की बात नहीं टालते थे। मसलन, 2 अप्रैल 2012 की घटना को ही ले लीजिए। भोजपुर के प्रसिद्ध बखोरापुर काली मंदिर के परिसर में बनाया गया शिव मंदिर जब बनकर तैयार हो गया तो मंदिर के संरक्षक सुनील सिंह गोपाल चाहते थे कि उसका उद्घाटन भोजपुर की शान महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह करे। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ वशिष्ठ बाबू से सम्पर्क किया। दो दिनों तक अनुनय-विनय करते रहे, लेकिन वशिष्ठ बाबू राजी नहीं हुए। तब स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके माँ के पास जाकर कहे कि वशिष्ठ बाबू मंदिर का उद्घाटन कर दे। माँ के कहने पर वशिष्ठ बाबू ने फिता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। उसके साथ ही माँ काली सांस्कृतिक महोत्सव 2012 का शुभारंभ भी हुआ।

पता नहीं वशिष्ठ बाबू को खैनी खाने की लत कब और कैसे लग गयी, लेकिन रंगकर्मी संजय शाश्वत बताते हैं कि वशिष्ठ बाबू खैनी खाने के शौकीन थे। वे बसंतपुर गांव या पटना में रहने के दौरान

चाय पीने के बाद खैनी की डिमांड करते थे। जब उन्हें खैनी खाने की तलब होती थी तो आसपास में उम्र में बड़े हो या छोटे किसी को भी कह देते थे कि 'भईया तनी खइनी खिलाव'। संजय बताते हैं चाय और खैनी के सेवन के बाद उनका मूड फ्रेश हो जाता था।

वशिष्ठ बाबू न कवि थे और ना ही उन्हे कविता लिखने का शौक था। फिर भी उन्होंने दो-चार कविताएं लिखी है। उनकी एक कविता दी जा रही है, जो इस प्रकार है-

''हम क्या थे और क्या हो गये
दुनियां चलती जाती है
हम भी घुलते-मिलते हैं
दुनियां में मैंने जितनो को देखा
सबकी नजरें टेढ़ी हैं।
तुम क्या करना चाहते थे
और क्या हो गया
हे भगवान रक्षा करो।
अब रक्षा करो भगवान रक्षा करो
यह दुनियां तुम्हारी है।
इस दुनियां में हम कुछ भी नहीं है
तुम गणितज्ञ हो, तुम महान हो।
तुम प्रोफेसर हो, तुम भाग्यवान हो
अब मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता।
अगर तुम ही नहीं हो तो हम भी नहीं हैं।'

★ बेमेल शादी का वशिष्ठ बाबू के दिमागी हालत पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा :- डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह पितृ भक्त थे। नहीं चाहते हुए भी पिता के कहने पर वह शादी करने के लिए राजी हो गयें। गणित में बेहद लगाव के चलते ही उनकी बारात निकलने में देर रात हो गयी थी। दरअसल, बारात कूच करने के लिए तैयार थी, उस समय भी वे गणित के सूत्रों की पढ़ाई में मग्न थे। बारात निकलने के समय भी वे कमरे का दरवाजा बंद कर पढ़ाई में व्यस्त थे, जिसके कारण बारात देर रात में लड़की वाले के दरवाजे लगी। 8 जुलाई 1973 को छपरा जिला के सदर प्रखंड के खलपुरा गांव के निवासी एम.बी.बी.एस. डॉ० दीपनारायण सिंह की दूसरी बेटी पी. एच.डी. डॉ० वंदना सिंह से हुई।

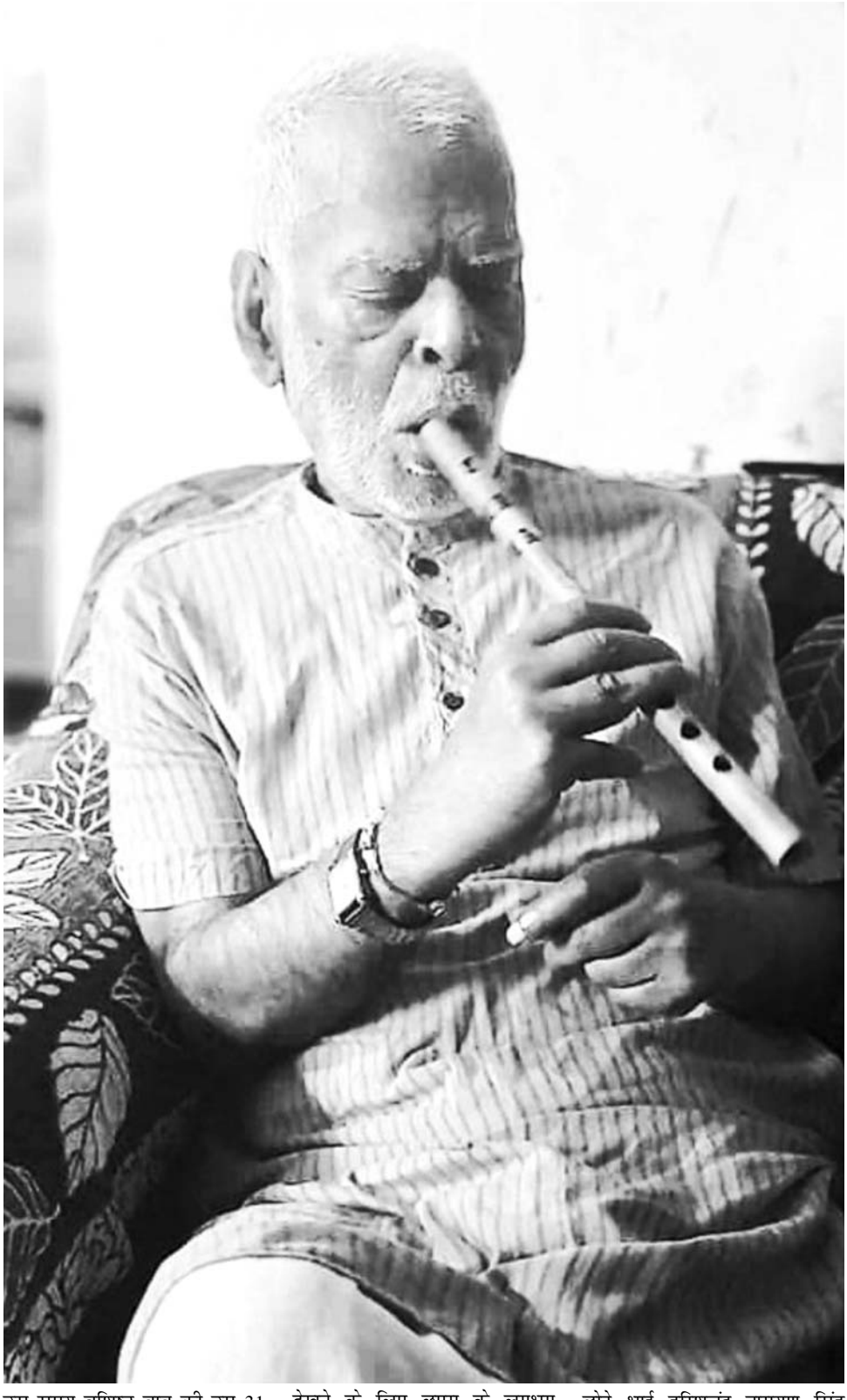

उस समय वशिष्ठ बाबू की उम्र 31 वर्ष थी। शादी के समय वशिष्ठ बाबू की ख्याति दुनियां के महान गणितज्ञ के रूप में सुमार हो चुकी थी। इसलिए शादी के दौरान उनको देखने के लिए छपरा के लगभग सभी कॉलेजों के प्रोफसर और जिला के नामी-गिरामी लोग पहुंचे थे, लेकिन वशिष्ठ बाबू का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। वशिष्ठ बाबू के छोटे भाई हरिशचंद नारायण सिंह बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद से ही भैया का व्यवहार बदलने लगा था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक डॉ० वंदना सिंह करीब साढ़े पांच

महीने तक ही वशिष्ठ बाबू के साथ रही। अर्थात् मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आती-जाती रही। बाद में वशिष्ठ बाबू के छोड़कर मायके में अपने माता-पिता के पास चली गई। जिसका वशिष्ठ बाबू की दिमागी हालात पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा। जनवरी 1974 में वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये। वर्ष 1975 में पत्नी से उनका तलाक हो गया। वर्ष 1976 में उनके घरवालों ने उनका इलाज कराने के लिए उन्हें राँची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित कांके मेंटल हॉस्पीटल में भर्ती करवाया। सरकारी संस्थान होने के चलते वशिष्ठ बाबू वहां उपेक्षित रहे। उपेक्षा का कारण गरीब परिवार से जुड़ा होना भी था। इसलिए उनका उचित इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गयी। 1978 में वशिष्ठ बाबू का इलाज सरकारी खर्च पर शुरू हुआ। जून 1980 में उनके इलाज हेतु सरकार द्वारा पैसा देना बंद कर दिया गया। उसके बाद इलाज के लिए पैसा नहीं रहने के कारण 1982 में कांके के एक प्राइवेट हॉस्पीटल 'डेविड हॉस्पीटल' में हॉस्पीटल के प्रबंधकों द्वारा बंधक बना लिये गये थे।

अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते वशिष्ठ बाबू अपने सगे-संबंधियों तथा जात-बिरादरी के लोगों में बहुत ही मशहूर हो गये थे। उनकी जाति-बिरादरी के लोग चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी प्रकार वशिष्ठ बाबू से हो जाये। एक से बढ़कर धनी तथा प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ते आने लगे। हालांकि वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह उन्हें बहुत प्रेम करते थे। दोनो बैठकर आपस में घंटों बात किया करते थे। बावजूद इसके लाल बहादूर सिंह ने बेटे की शादी एक गरीब परिवार में करने के बजाय एक धनी तथा तथाकथित प्रतिष्ठित परिवार के बहुत ही पढ़ी-लिखी लड़की से कर दी। लाल बहादूर सिंह से यह बहुत बड़ी चूक हो गयी जो बाद में वशिष्ठ बाबू के लिए घातक सिद्ध हुई। वशिष्ठ बाबू के सास-ससुर प्रतिभा को संरक्षण देने के बजाय अपने घमंड की तुष्टी हेतु दिखावे को तरजीह देने लगे। ससुराल वाले चाहते थे, समाज के गणमान्य व्यक्ति द्वारा आमंत्रित भोज में वे उनकी बेटी के साथ जाकर सिरकत करे और मेजबान के परिवार के साथ गपशप में अच्छा-खासा समय दे। उनके यहाँ प्रतिष्ठित परिवार के लोग आये और बेटी दामाद आगंतुकों के साथ मेल-जोल, बातचीत करने में पर्याप्त समय दे। बेटी-दामाद देश के दर्शनीय तथा ऐतिहासिक स्थलों का खूब भ्रमण करे। वशिष्ठ बाबू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ऐसे कार्यों में समय की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। वैसे कार्यों में समय लगाने के बजाय पढ़ाई में अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, जिससे की दुनियां में उनके देश का नाम रौशन हो। दरअसल, घर और खासकर उनके ससुराल वालों के समाज में बड़ा दिखाने की प्रवृति ने वशिष्ठ बाबू को बिल्कुल असहज बना दिया। इस कारण वशिष्ठ बाबू की तबीयत बिगड़ी और जनवरी 2014 में उन्हें मानसिक दौड़ा पड़ा। अर्थात् वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये। जाँच के बाद पता चला कि वशिष्ठ बाबू सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बिमारी से ग्रसित हो गये हैं। पटना सायंस कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य और गणितज्ञ डॉ० के.के. झा के अनुसार ऐसा कुछ बताते हैं कि वशिष्ठ बाबू के रिर्सच वर्क की चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान थे। इसका भी प्रतिकूल असर वशिष्ठ बाबू के दिमागी हालात पर पड़ा।

8 अगस्त 1989 को वशिष्ठ बाबू के भाई अयोध्या नारायण सिंह, जो सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत्त थे, वशिष्ठ बाबू का इलाज कराने हेतु पूना के मिलिट्री हॉस्पीटल भर्ती कराने के लिए आरा से ट्रेन से ले जा रहे थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के गढ़वारा रेलवे स्टेशन पर रात में बुक स्टॉल की दुकान देखकर वशिष्ठ बाबू ट्रेन से उतर गये। उस दौरान ट्रेन में उनके छोटे भाई अयोध्या नारायण सिंह, उनकी पत्नी और बेटी सो रही थी। ट्रेन खुल गई और वशिष्ठ बाबू वही रेलवे प्लेटफॉर्म पर छुट गये। गढ़वारा रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकलते समय कुछ रेलवे कर्मचारियों और टिकट निरीक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उस समय वशिष्ठ बाबू द्वारा लगभग 30 मिनट तक अंग्रेजी में स्पीच देते देख सभी रेलवे कर्मचारी सहम गये और स्टेशन परिसर से बाहर चले गये। फिर वशिष्ठ बाबू कहां गुम हो गये, पता नहीं चला।

4 साल से लापता वशिष्ठ बाबू संयोग से 9 फरवरी 1993 को भिखारी की भेष-भूषा में छपरा के डोरीगंज बाजार में एक झोपड़ीनुमा होटल के बाहर फेंके गये जूठन में खाना तरासते मिले। उस समय उनके शरीर पर मैला फटा कपड़ा था तथा वे नंगे पांव थे। उनकी दाढ़ी-मूंछे बढ़ी हुई थी और सर का बाल भी बढ़ा हुआ बेतरतीब था। शरीर भी धूल-धूसरित था। दुनियां के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ की ऐसी अति दयनीय और दर्दनाक दशा! चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए बिहारवासियों को, केन्द्र सरकार को और खासकर

बिहार सरकार को। जिसके मुखिया नीतीश बाबू पिछले 14 वर्षों से लगातार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, जो इंटर तक पटना सायंस कॉलेज के छात्र रहे और उसके बाद पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की तथा उन्होंने बिहार के विकास के लिए पिछले सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले सबसे अधिक काम किया है।

वशिष्ठ बाबू को खोजने का श्रेय उनके गांव बसंतपुर के ही कमलेश राम और भोरिक राम उर्फ सुदामा राम को जाता है। ये दोनो भोरिक राम की बेटी की बिदाई के लिए पलंग तथा अन्य फर्नीचर खरिदने हेतु डोरीगंज बाजार आये थे। इन दोनो ने ही अपने गांव के वैज्ञानिक चाचा यानि महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह को पहचाना और उनके घरवालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही घर वाले नाव से तुरंत आरा से डोरीगंज बाजार पहुंचे और देखते ही वशिष्ठ बाबू को पहचान लिया। घरवालों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत उनकी दाढ़ी बनवाई और सर का बाल कटवाया। उसके बाद उन्हें नहला-धुलाकर नया वस्त्र पहनाया और तब उनको लेकर वापस पैतृक गांव बसंतपुर लौट आये।

डॉ० वशिष्ठ नारायण की चार वर्षों की गुमनामी के बाद उनके मिलने की पहली खबर 9 फरवरी 1993 को राष्ट्रीय सहारा में छपी थी। 11 फरवरी 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने सहयोगी श्रममंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ उनसे मिलने बसंतपुर गांव आये थे। उनकी अति दयनीय हालत देखकर मुख्यमंत्री इतने भावुक हो गये कि उन्होंने कहा कि बिहार को बंधक रखना पड़े तो रखेंगे, लेकिन इस महान गणितज्ञ का इलाज विदेश तक करायेंगे। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू की विलक्षण प्रतिभा से लालू प्रसाद अच्छी तरह वाकिब थे। बात यह है कि छात्र जीवन में वह वशिष्ठ बाबू से दो-तीन साल जुनियर थे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के

निर्देश पर श्रम मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह खुद वशिष्ठ बाबू को लेकर बैंगलुरू के निम्हांस हॉस्पीटल में भर्ती कराने गये थे। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोइली से सम्पर्क कर गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू के इलाज की समुचित व्यवस्था करायी और कई दिनों तक वशिष्ठ बाबू के साथ हॉस्पीटल में भी रहे। दरअसल, तत्कालीन श्रम मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह (आज के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष) और महान गणितज्ञ एक ही क्षेत्र से आते हैं। इस नाते प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह से खास लगाव था। वहां 1993 से 1997 तक वशिष्ठ बाबू का सरकारी खर्च पर सघन इलाज चला। जिससे उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। लेकिन लालू सरकार ने आगे के इलाज हेतु पैसा देना बंद कर दिया, जिस कारण लाचारी में पर्याप्त इलाज कराये बगैर वशिष्ठ बाबू वर्ष 1997 में वापस अपने गांव बसंतपुर लौट आना पड़ा। यही पर लालू सरकार से बड़ी चूक हो गई, वरना वशिष्ठ बाबू पूर्णत: ठीक हो जाते और गणित में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेते। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू से अपेक्षाकृत कम प्रतिभा संपन्न अमेरिका के महान गणितज्ञ जॉन नैश भी इसी बिमारी से ग्रसित हो गये थे। उनका गहन इलाज कराकर अमेरिकी सरकार उन्हें सिजोफ्रेनिया की बिमारी से उबार लिया था। बाद में जॉन नैश को गणित का नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि जॉन नैश के पीएचडी का रिर्सच वर्क वशिष्ठ नारायण सिंह के पीएचडी के रिर्सच वर्क के समक्ष कही नहीं ठहरता। यदि लालू जी समझदार होते हुए भी नासमझ न बनते तो लालू जी भी वशिष्ठ बाबू के साथ अमर हो जाते।

लालू प्रसाद के मन में वशिष्ठ बाबू की अहमियत कितनी थी, वह इस बात से भी पता चलता है कि लापता होने के बाद पहली बार जिन दो व्यक्तियों ने डोरीगंज बाजार में उन्हें पहचाना था और उनके घरवालों को सूचित कर उनसे मिलवाया था, उन दोनो व्यक्तियों को लालू जी ने सरकारी नौकरी देकर पुरस्कृत किया था। ये दोनो व्यक्ति थे-कमलेश राम और भौरिक राम। उन्होंने कमलेश राम और भौरिक राम को आरा समहरणालय में अलग-अलग पदों पर नौकरी दी। वे दोनो आज भी कार्यरत्त हैं। लालू जी ने वशिष्ठ बाबू की आर्थिक मदद भी की, क्योंकि वशिष्ठ बाबू का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, इसलिए उनके घर को मुफलिसी से उबारने के लिए उनके भाई हरिशचंद्र नारायण सिंह, भतीजे संतोष सिंह और अशोक सिंह को भी विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी दी। हरिशचंद्र नारायण सिंह को आरा अनुमंडल में नाजीर के पद पर, संतोष सिंह को आरा समहरणालय में कर्लक के पद पर

और अशोक सिंह को पटना में पुलिस के पद पर नौकरी दी।

जैसे ही वशिष्ठ बाबू के घर के आर्थिक रूप से खराब हालत के बारे में नेतरहाट ओल्ड ब्वॉयज ऐसोसिएशन (नोबा) को जानकारी मिली, तभी से यह संगठन उनके परिवार को आर्थिक मदद करता रहा। वशिष्ठ बाबू को नोबा के सदस्यों ने सबसे अधिक सहयोग किया। वर्ष 2013 से नवम्बर 2019 तक लगातार छः वर्षों तक प्रतिमाह 20 हजार रूपये घर का किराया देने, बिजली का बिल भरने तथा वशिष्ठ बाबू के इलाज हेतु देता रहा। यह पैसा उनके मंझले भाई अयोध्या नारायण सिंह को दिया जाता था, जो 2009 से वशिष्ठ बाबू और अपने परिवार के साथ पटना के अशोक राजपथ के किनारे स्थित कुल्हड़िया कॉप्लेक्स के तीसरी मंजिल पर अवस्थित फ्लैट नं.-302 में रहते थे। अयोध्या नारायण सिंह का परिवार ही वशिष्ठ बाबू का देखरेख और सेवा-टहल करता था।

लेकिन, बिहार के विकास के लिए सबसे अधिक काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लगातार 14 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की सूधनहीं ली, कभी भी किसी तरह की मदद उन्हें और उनके परिवार वालों को नहीं की। आश्चर्य होता है कि नीतीश बाबू

जैसा तेज, कर्मठ, पुरूषार्थी और धून के पक्के मुख्यमंत्री से यह चूक कैसे हो गई? 14 नवम्बर को उन्होंने सिर्फ कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स पहुंचकर वशिष्ठ बाबू के पार्थिव शरीर पर अपने हांथों से माल्यार्पण करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना जरूर है कि नीतीश बाबू के चलते वशिष्ठ बाबू को बड़हरा प्रखंड के सिन्हा ओपी क्षेत्र स्थित सोन नदी के महुली घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 15 नवम्बर को दिवंगत डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह के भतीजे मुकेश कुमार सिंह ने उन्हें दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर मुखाग्नि दी। दिवंगत डॉ० सिंह को घाट पर बिहार पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्हें 24 रायफलों की सलामी दी गई।

समाज में गरीब कितना उपेक्षित होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण हैं डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह। पटना सायंस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ और पटना युनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब को छोड़कर आजतक पटना सायंस कॉलेज के दूसरे किसी प्राचार्य और पटना युनिवर्सिटी के किसी दूसरे कुलपति ने एक बार भी उनकी सूध नहीं ली। पटना युनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति डॉ० रासबिहारी सिंह, उनके निधन के बाद बड़ी-बड़ी डिंगे हांक रहे हैं और अनेक घोषनाएं कर रहे हैं कि डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की याद में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर इनमें कुछ ऐसा कर सकने की क्षमता होती तो नैक की ग्रेडिंग में पटना युनिवर्सिटी को A++ के बजाय B+ और पटना कॉलेज को A++ के बजाय C ग्रेड नहीं मिलता।

बिहार के विभिन्न पार्टियों के नेताओं का तो कहना ही क्या? बड़ी-बड़ी डिंगे हांकने में इनका कोई जवाब नहीं। मसलन, रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वशिष्ठ बाबू जैसे प्रतिभा संपन्न सदियों में बिरले ही पैदा होते हैं, इसलिए भारत

सरकार इन्हें पद्मश्री, भारत रत्न आदि पुरस्कारों से सम्मानित करे तथा बिहार के प्रमुख स्थलों पर इनकी आदमकद मुर्ती स्थापित करे। लेकिन इनमें से किसी भी राजनेता ने, जब वशिष्ठ बाबू जीवित थे तो गलती से भी एक बार भी याद नहीं किया।

★ जन्मजात टॉपर थे वशिष्ठ बाबू :- वशिष्ठ नारायण सिंह नेतरहाट स्कूल के 1957-63 बैच के छात्र थे। उन्होंने छठी क्लास में नेतरहाट स्कूल में कदम रखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर क्लास में टॉप करते गये। कामयाबी की नई इबादत लिखते गये। जब 1963 में हाइयर सेकेन्ड्री की परीक्षा में उन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया तो हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल हो गया। अपनी प्रतिभा के बल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। परीक्षा की कॉपी जांचने वाले ने तब कहा था कि इन्हें कोई पढ़ा सके, ऐसा यहां कोई शिक्षक नहीं है। हाइयर सेकेन्ड्री के बाद उन्होंने पटना के सायंस कॉलेज में दाखिला लिया और उन्हे फैराडे हॉस्टल मिला। फैराडे हॉस्टल अप्रितम मेधा वाले छात्रों को मिलता था।

एक दिन ट्यूटोरियल क्लास के दौरान वशिष्ठ बाबू ने जाने-माने गणित के शिक्षक प्रो० बिकन भगत से कहा कि गणित के इस सवाल को दूसरे नियम से भी बनाया जा सकता है। उस सवाल को वशिष्ठ बाबू ने एक से अधिक तरीकों से हल कर दिया। यह बात प्रो० बिकन भकत को अच्छी नहीं लगी। ऐसी घटना बार-बार हुई तो प्रो० बिकन भगत को लगा कि वशिष्ठ उनसे अशिष्ठता कर रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ से की। कहा कि इस लड़के का रौल नं. -23 है और यह क्लास में तंग करता है। प्राचार्य डॉ० नगेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ को अपने चेंबर में तलब किया। उन्होंने वशिष्ठ से कई सवाल पूछे। वशिष्ठ ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। एक से अधिक तरीके से सवालों को हल करके बतलाया। डॉ० नगेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ से बहुत ही कठिन सवाल किया, जिसे वशिष्ठ ने मिनटों में हल कर दिया। इससे प्राचार्य नागेन्द्र नाथ गदगद हो गये। उन्होंने वशिष्ठ को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि इतना मेधावी छात्र मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है, यह लड़का बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि डॉ० नगेन्द्र नाथ खुद पहुंचे हुए गणितज्ञ थे, बड़े वैज्ञानिक थे। वे 'नाथ-रमण इफेक्ट' थ्योरी के जनक थे। अर्थात् वे 'नाथ-रमणस इफेक्ट' के मशहूर साइंटिस्ट थे। डॉ० बिकन भगत, जिन्हें पहले लगता था कि वशिष्ठ उन्हें क्लास में हूट कर रहा है, बाद में वे वशिष्ठ के मुरीद हो गये।

सायंस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ ने उस वक्त के पटना युनिवर्सिटी के कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब से वशिष्ठ नारायण की पूरी कहानी सुनाई और तीन साल की बीएससी ऑनर्स की डिग्री की परीक्षा में एक ही साल में

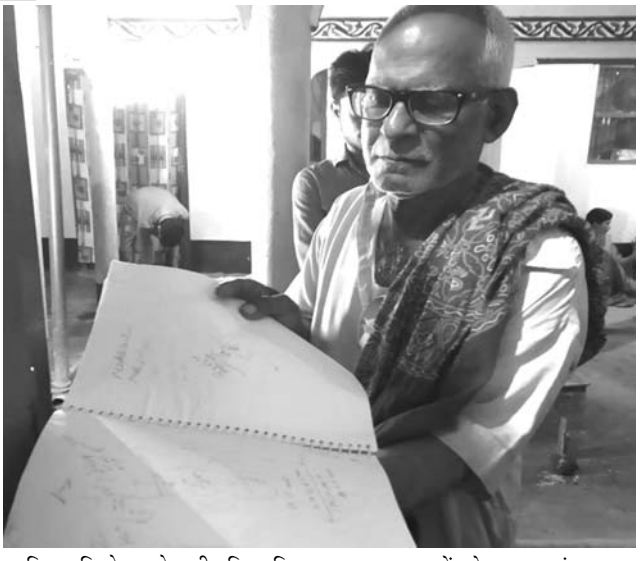

शामिल किये जाने की सिफारिश की। डॉ० नागेन्द्र नाथ के मुंह से वशिष्ठ नारायण की विलक्षण प्रतिभा की बात सुनकर कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब इतने प्रभावित हो गये थे कि वे खुद अपनी गाड़ी बीआरए-8812 सायंस कॉलेज में भेजकर वशिष्ठ को युनिवर्सिटी में बुलवाया और उन्हें रिसिव करने के लिए खुद युनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद थे। वशिष्ठ बाबू को लेकर कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब अपने चेम्बर में ले गये। प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ और डॉ० बिकन भगत भी वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ में गये थे। प्राचार्य, कुलपति और डॉ० बिकन भगत के बीच बातचीत के बाद तुरंत कुलपति ने वशिष्ठ नारायण को 1963-64 में बीएससी पार्ट-1 की जगह बीएससी ऑनर्स फाइनल में शामिल होने की अनुमति देने को राजी हो गये। पटना युनिवर्सिटी के सीनेट सिंडिकेट ने वशिष्ठ बाबू को बीएससी पार्ट-1 के बजाय सीधे बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में बैठने की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अर्थात् पटना विश्वविद्यालय ने वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए नियम बदले। तीन साल के बजाय एक साल में ही बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में भी वशिष्ठ बाबू न सिर्फ टॉप रहे, बल्कि नया कृतिमान यानि रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्हें कुल 600 में से 574 अंक प्राप्त हुआ।

उस समय सायंस कॉलेज में वर्ल्ड मैथेमेटिक्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें भाग लेने के लिए यूरोप के जाने-माने गणितज्ञ प्रो० डॉ० जॉन एल. केली आये थे। वे कैलिफोर्निया के बर्कले युनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। डॉ० नागेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ नारायण को डॉ० केली से मिलवाया। डॉ० नगेन्द्र नाथ ने डॉ० केली से कहा कि आप वशिष्ठ को अमेरिका ले जाइये। यह बहुत ही प्रतिभाशाली है, आपका नाम रौशन करेगा। डॉ० केली ने उन्हें गणित के कुछ सूत्र हल करने को दिये, जिसे वशिष्ठ बाबू ने मिनटो में कई प्रकार से हल कर दिये। यह देख डॉ० केली दंग रह गये। उन्होंने वशिष्ठ को तत्काल अमेरिका चलने को कहा, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे। पटना युनिवर्सिटी ने उनके लिए विशेष तौरपर परीक्षा आयोजित की। महज 22 वर्ष की उम्र में ही पी.जी. की डिग्री हासिल करने वाले वे देश के इतिहास में पहले व्यक्ति बने।

8 सितम्बर 1965 को वशिष्ठ बाबू का बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला मिला। प्रो० केली ने उन्हें दो साल बाद पीएचडी की इनरॉलमेंट परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी। लेकिन वशिष्ठ बाबू उसी साल छः महिने के बाद ही इनरॉलमेंट परीक्षा में बैठे और टॉप कर गये। डॉ० केली के मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अति कठिन व जटिल टॉपिक 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर 1969 में पीएचडी प्राप्त की। 1974 में उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। तब गणित की दुनियां में इस शोध पत्र ने तहलका मचा दिया। वशिष्ठ बाबू की पीएचडी के विषय को आज भी अनूठा माना जाता है।

★ वशिष्ठ बाबू की पीएचडी का विषय आज भी अनूठा और रहस्यमय माना जाता है :- वशिष्ठ नारायण सिंह ने भौतिक विज्ञान की सबसे दुरूह शाखा क्वांटम मेकेनिक्स में योगदान देने के लिए 'हिल्बर्ट स्पेस' नाम के गणितीय आधार का इस्तेमाल किया। हिल्बर्ट स्पेस गणित में फंक्शनल मैथ की शाखा है। यह सर्वाधिक कठिन संकल्पना है। गणित में उनकी पीएचडी रिसर्च पेपर 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेर्टस विद ए साइक्लिक वेक्टर' नाम से 1974 में 'पैसिफिक जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स' में

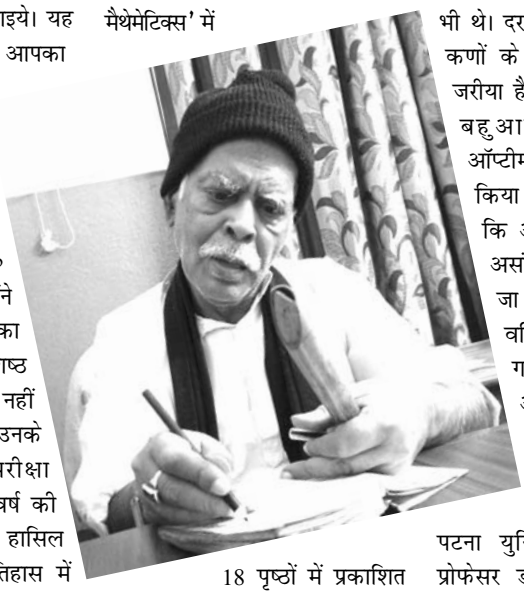

18 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने गणितीय आधार पर विज्ञान के कुछ गुढ़ रहस्यों पर उन्होंने अपने मत दिये थे। उस समय उनकी सोच मौलिक थी। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में संकेत दिया था कि दुनियां में कुछ भी अनंत नहीं है, जिसे गणितीय संकल्पना पर समझा नहीं जा सकता है। जानकारों का मानना है कि आगामी दशक में विज्ञान की कुछ अवधारणाओं में बदलाव होने जा रहा है। इनमें वे अवधारणाएँ भी शामिल है, जिस पर उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में अपना मत दिया था। जाहीर है कि विज्ञान की अवधारणाओं में होने वाले बदलाव की नीव में विश्व के चुनिंदा गणितज्ञों में डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में थ्री डायमेंशन (लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई) से परे कुछ और आयामों की संभावना जतायी है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया है। छोटे कणों के गुण धर्म को समझने के लिए क्वांटम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में यह भी बताने का प्रयास किया है कि कणों के स्वभाव अलग-अलग क्यों होते हैं? आज से 50 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स यानि कणों की चक्रीय वृद्धि यानि कणों के वृद्धि के स्वभाव पर इतनी गहराई से सोच रखने वाले चंद वैज्ञानिकों में एक वशिष्ठ बाबू भी थे। दरअसल, क्वांटम मैकेनिक्स कणों के स्वभाव को समझने का जरीया है। वशिष्ठ बाबू का रिसर्च बहुआयामी है। उसमें ऑप्टीमाइजेशन पर भी फोकस किया गया है। उन्होंने बताया है कि असीमित को सीमित और असंख्य को बेहद कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर वशिष्ठ बाबू के सोच में गणित के उपयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है। ऐसा वशिष्ठ बाबू के रिसर्च को लेकर पटना युनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर डॉ० के.सी. सिन्हा और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉ० अमरेन्द्र नारायण का मत है।

★ वशिष्ठ बाबू को गणित से बेहद लगाव था :- वशिष्ठ बाबू को गणित से बेहद लगाव था। दिन हो या रात, जब मन किया कॉपी या

एक नजर में डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

☞ 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में उनका जन्म हुआ था

☞ वर्ष 1957 में नेतरहाट स्कूल की छठ्ठी कक्षा में दाखिल हुए।

☞ वर्ष 1963 में हायर सेकेण्ड्री की परीक्षा में पूरे बिहार में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ।

☞ वर्ष 1963 में ही पटना के सायंस कॉलेज में बीएससी पार्ट-1 में दाखिल हुए।

☞ वर्ष 1964 में उन्होंने पटना युनिवर्सिटी की बीएससी ऑर्नस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान नये कृतिमान के साथ स्थापित किया।

☞ 8 सितम्बर 1965 को उन्हे कैलिफोर्निया (अमेरिका) के बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला मिला।

☞ वर्ष 1966 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में उन्हें काम करने का मौका मिला।

☞ वर्ष 1967 में कोलंबिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स के निदेशक बने।

☞ वर्ष 1969 में 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एण्ड ऑपरेटर्स विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर पीएचडी की, जो गणित की दुनियां में तहलका मचा दिया। इसलिए बर्कले युनिवर्सिटी ने उन्हें जीनियसो का जीनियस की उपाधि से अलंकृत किया।

☞ वर्ष 1969 में ही वाशिंगटन युनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बने।

☞ वर्ष 1971 में वे भारत लौट आये।

☞ वर्ष 1972-73 में आईआईटी कानपुर में प्राध्यापक, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच (ट्रॉम्बे) तथा स्टेटिक्स इंस्टीच्यूट में अहम पदों पर आसिन रहे।

☞ 8 जुलाई 1973 में को डॉ० वंदना सिंह से शादी हुई, जो उनकी बर्बादी का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

☞ वर्ष 1974 में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये।

☞ वर्ष 1976 में उनके घर वालों ने उनका इलाज कराने के लिए राँची के समीप कांके स्थित कांके मेंटल हॉस्पीटल में भर्ती कराया।

☞ वर्ष 1978 में कांके मेंटल हॉस्पीटल में उनका सरकारी खर्च पर इलाज शुरू हुआ, जो 1980 में सरकारी पैसा नहीं मिलने पर बंद हो गया।

☞ वर्ष 1982 में इलाज का पैसा नहीं चुकाने के कारण एक प्राइवेट हॉस्पीटल 'डेवीड हॉस्पीटल' में बंधक बना लिए गये।

☞ इलाज हेतु आरा से मिलिट्री हॉस्पीटल ले जाने के दौरान 8 अगस्त 1989 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के गढ़वारा रेलवे स्टेशन से लापता हो गये।

☞ 9 फरवरी 1993 को छपरा के डोरीगंज बाजार में एक झोपड़ीनुमा होटल के बाहर फेंके गये भोजन तलाशते मिले।

☞ 11 फरवरी 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने के लिए उनके पैतृक गांव बसंतपुर जाकर उनके घर पर मिले।

☞ लालू प्रसाद ने 1993 से 1997 तक सरकारी खर्च पर उनका इलाज बैंग्लुरू के निम्हांस हॉस्पीटल में भर्ती कराया, जिससे वशिष्ठ बाबू की मानसिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

☞ अक्टूबर 2019 के दूसरे सप्ताह में एक सप्ताह के इलाज के बाद वशिष्ठ बाबू ठीक होकर कुल्हड़िया कॉप्लेक्स स्थित अपने आवास पर लौट आये।

☞ 14 नवम्बर 2019 को पीएमसीएच में सुबह साढ़े आठ बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

डायरी खोलकर पेन से गणित के सूत्र लिखना शुरू कर देते थे। गणित के सूत्रों को हल करने में उलझे रहते थे। इतना ही नहीं मन किया तो अपने घर की दीवारों पर गणित का सूत्र लिख डालते। उनके ग्रामीण सत्यनारायण सिंह के अनुसार उनकी माँ प्रति दिन उनको खल्ली देती थी। जब वे गांव में घूमने निकलते थे, तो बिजली के पोल, जमीन, दीवार, कही भी गणित के सूत्र लिख देते थे। गांव के घर की दीवारों पर उनके द्वारा लिखे गणित के सूत्र आज भी विद्यमान हैं। वशिष्ठ बाबू को नोट बुक से बहुत लगाव था। वे हर साल एक नोट बुक खरीदते थे और हर दिन उस नोट बुक पर कुछ न कुछ लिखते थे। पटना के अशोक राजपथ के किनारे कुल्हड़िया कॉप्लेक्स में स्थित उनके फ्लैट में 2006 से 2019 तक के उनके द्वारा लिखित नोट बुक रखे हुए हैं। जिनमें गणित के ढ़ेर सारे सूत्रों की भरमार है। समान्यत: उनके कमरे में सिंगल बेड पर सफेद रंग की चादर बिछी होती थी, जिसपर कई जगहों पर स्याही के दाग लगे होते थे। उनके बिस्तर पर अक्सर तीन-चार पेन और पेंसिल तथा कागज के पन्ने बिखरे पड़े रहते थे तथा पन्नों पर गणित के सूत्र लिखे रहते थे। उनके कमड़े में रखी तीन बड़ी अलमारियां किताबों से भरी है। इन अलमारियों में गणित के किताबों के अलावा दो-चार की संख्या में धार्मिक तथा इतिहास की किताबे भी है। कमरे की गुलाबी दिवारों पर पेंसिल से गणित के कई सूत्र लिखे हुए हैं। कमरे की दीवारों पर गणित के ऐसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग अंकित है, जिन्हें समझने के लिए अलग दिमाग की जरूरत है। मसलन, $51+53\times80\times602\div4=628$। गणित के ऐसे कई सूत्रों से कमरे की दीवारे भरी पड़ी है। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में अल्फा, बीटा और गामा के गणितीय सूत्र तलाशते-तलाशते वे अध्यात्म की दुनियां में जीवन के सूत्र तलाशने में जुट गये थे। वे घर में खादी का कुर्ता और पजामा पहनते थे। उनके कमरे के दरवाजे पर एक गमछा हमेशा टंगा रहता था। उसी गमछे को वे अक्सर अपने गले में लपेटकर अथवा बिना लपेटे कंधे पर रखते थे। वे गीता, वेद तथा अन्य धार्मिक किताबे भी पढ़ते थे, लेकिन उनको गीता और बासुरी से बहुत लगाव था। गीता और बासुरी को वह अपने सिरहाने रखे रहते थे। वशिष्ठ बाबू को संगीत से भी बहुत लगाव था। वे बासुरी अच्छी बजाते थे। बिस्तर पर बासुरी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो मरते दम तक उनके साथ रही। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आर्दश मानते थें। वे दिन में कई बार उनकी तस्वीर को प्रणाम भी करते थे।

डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की उपलब्धियों और उनके मिले सम्मान से उनका पूरा फ्लैट भरा-पटा है। फ्लैट के मुख्य दरवाजे से लेकर

अंदर हॉल और कमरे में भी उनके मिले तमाम सम्मान और पुरस्कारों को दीवारों पर लगाया गया है। मसलन, इनमें सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 28 जनवरी 1963 में मिला सिल्वर मेडल पुरस्कार है। नेतरहाट गोल्डेन जुबली के मौके पर उनको सम्मानित किया गया टिकुली आर्ट का फ्रेम भी दीवार पर टंगा हुआ है।

आज के भारत में प्रतिभा की बेकद्री का यह कोई पहला मामला नहीं है। आजादी के बाद से ही हमारे देश को जो बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है, वह देश में मौजूद प्रतिभा का बुरी तरह उपेक्षा किया जाना, उसकी अहमियत को नजरअंदाज किया जाना और राजनेताओं को जरूरत से बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाना। भारतीय समाज में विधायक और सांसद को करीब-करीब भगवान का दर्जा प्राप्त है, जो देश के लिए बहुत ही घातक है और प्रतिभाओं को भिखारी का दर्जा प्राप्त है, यह देश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ी रूकावट है।

इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ष 1971 में वशिष्ठ बाबू लौटकर अमेरिका से अपने वतन आ गये। तब से लेकर जीवन पर्यन्त उनको रिसर्च वर्क करने हेतु कभी भी उचित माहौल नहीं मिला। वशिष्ठ बाबू के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने और अंततः उनकी मौत का यही असली कारण है। यदि केन्द्र सरकार और खासकर बिहार सरकार तथा बिहारी समाज के लोग उनके साथ खड़े होते तो मुमकिन था कि वशिष्ठ नारायण सिंह के रूप में आज हमारे देश के खाते में पूरी दुनियां में जगमगाने वाला एक सितारा होता। हम बिहारवासी वशिष्ठ बाबू को नहीं समझ सके। आज के बिहारवासियों में अपने आप को सबसे काबिल समझने का भ्रम पैदा हो गया है, भले ही कितना भी मूर्ख क्यों न हो? यही कारण है बिहार के अनेक जगहों से लोग आकर वशिष्ठ बाबू से अक्सर कठिन से कठिन सवाल पूछते रहते थे और बिमारी की अवस्था में भी वशिष्ठ बाबू उन सवालों का उत्तर देते रहते थे। लेकिन किसी ने भी उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। बिहार के जाने-माने गणितज्ञ डॉ० के.सी. सिन्हा का मानना है कि आर्यभट्ट के बाद वशिष्ठ बाबू ही बिहार के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। एक ऐसी प्रतिभा जिसकी प्रखरता दुनियां ने देखी, लेकिन सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त होने के चलते शिखर पर नहीं पहुंच सके। फिर भी मेधा के क्षितिज पर वह ध्रुव तारे की तरह चमकते रहेंगे।

★ बेकद्री के कारण होता है भारत से प्रतिभा का पलायन :- पता नहीं हमारे देश में कब से बेकद्री के चलते ही प्रतिभा का पलायन होता आ रहा है। हमारे देश से प्रतिभा पलायन की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इस फेहरिस्त में डॉ० हरगोविन्द खुराना, डॉ० सुब्रमण्यम चन्द्रशेखर, डॉ० अमृत्य सेन और डॉ० अभिजीत मुखर्जी के नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये सभी विदेशों में बस गये। इन चारों को अपने-अपने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगर ये भारत में होते तो गुमनामी के अंधेरे में समां गये होते। अर्थात् उनकी प्रतिभा का सत्यानाश हो गया होता। पूरी दुनियां भारतीय प्रतिभा का लोहा मानती है। यही कारण है कि यहां की प्रतिभाओं को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरीशस में हांथों-हांथ लिया जाता है। आंकड़ें भी इस बात के जीता-जागता सबूत है। पांच साल पहले युनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में भारत को दुनियां से सबसे बड़े प्रवासी वाले आबादी के रूप में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के एक करोड़ 60 लाख से अधिक लोग थे। अर्थात् दुनियां भर में भारत से प्रतिभा पलायन का आंकड़ा सबसे ऊपर है।

यह सच है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय प्रतिभाओं के पलायन को रोकने हेतु कुछ भी

ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन अब उठाये जाने लगे हैं। अर्थात् मोदी सरकार उठाने लगी है। देश के प्रतिभा पलायन को रोकने के मकसद से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री रिर्सच फेलोशिप योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत शोध के लिए मेजबान संस्थानों से शोधार्थी का चयन कर उन्हें मोदी सरकार की ओर से इतनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है कि देश से प्रतिभा का पलायन न हो तथा इनके शोध का इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जा सके। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत देश में ऐसे मेजबान संस्थान होते हैं, जहां प्रधानमंत्री रिर्सच फेलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी का शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। ये प्रधानमंत्री रिर्सच फेलोशिप शोधार्थी देश के सभी आईआईटी, सभी एनआईटी, आईआईएसटी (बैंगलुरू), सभी आईआईएसआर, सभी आईआईआरटी और नेशनल इंस्टीच्यूट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले सौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री रिर्सच फेलोशिप योजना के तहत पात्रता मापदंड पूरा करने वाले शोधार्थी को पहले दो साल के लिए 70 हजार रूपये प्रतिमाह, तीसरे वर्ष के लिए 75 हजार रूपये प्रतिमाह और चौथे तथा पांचवे वर्ष के लिए 80 हजार रूपये प्रतिमाह फैलोशिप प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु देश के अंदर तथा विदेशों में यात्रा करने से संबंधित खर्च दिये जाने का प्रावधान है। इसका साकारात्मक असर शोध कर्ताओं पर पड़ रहा है। जिससे देश को तरक्की करने में मदद मिल रही है।

★ वशिष्ठ बाबू की प्रतिभा से जुड़े कारनामेः- ☞ अमेरिका में मून मिशन के दौरान अपोलो अंतरिक्ष यान लांच के कुछ क्षण बाद ही अचानक 31 कम्प्यूटर बंद हो गया। सभी वैज्ञानिक चिंता में डूब गये कि

इस समय अंतरिक्ष में अपोलो कहां है, चांद पर कैसे पहुंचेगा? सभी वैज्ञानिक और गणितज्ञ आंकलन में जुट गये। डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह ने कागज पर गणना शुरू कर दी और सबसे पहले गणितीय आंकड़ा पेश कर दिया। जब कम्प्यूटर ठीक हुआ तो अंतरिक्ष यान अपोलो के पहुंचने के संबंध में निकला आंकड़ा और वशिष्ठ बाबू के कैलकुलेशन से निकला आंकड़ा एक जैसा था। तब अमेरिका के अखबार में उनके ऊपर एक आलेख छपी थी, जिसका शीर्षक था 'इंडियाज ब्यूटीफूल माइंड'। अर्थात् तब अमेरिका के अखबारों में उन्हें इंडियाज ब्यूटीफूल मांइड माना था। अमेरिकी अखबारों में प्रकाशित उस समय का यह आलेख आज भी उनके कमरे में टंगा है।

☞ एक बार बर्मिघम में स्टेशन से तेज रफ्तार में एक ट्रेन गुजरी। उस समय वशिष्ठ बाबू के साथ कई अन्य विदेशी वैज्ञानिक भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उन्ही में से किसी वैज्ञानिक ने वशिष्ठ बाबू की मेधा जांचने के लिए ट्रेन की बोगी पर लिखे नंबरों के बारे में पूछा। वशिष्ठ बाबू ने एक के बाद एक कई बोगी (कोच) पर लिखे नंबर बता दिये।

☞ नेतरहाट एलुमिनी एसोसिएशन के सदस्य भरत कुमार ने बताया है कि नेतरहाट में 1992 में नवी कक्षा में पढ़ने के दौरान वशिष्ठ नारायण की तबीयत खराब हो गयी थी। बेहतर इलाज हेतु उन्हें राँची से पटना लाया गया। उनकी जांच के बाद डॉक्टर ने कहा था कि इस छात्र का ब्रेन गणितज्ञ रामानुजम जैसा है। इससे 35 साल तक जो रिसर्च करवाना हो, करवा लिजिए।

☞ 1991 में न्यूटन का एक थियोरम (बायोनोमिकल परिमय) $(a+x)^n$ का हल पटना युनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं कर सके थे। वशिष्ठ बाबू ने उस थियोरम को पांच तरीके से हल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस थियोरम को काल्पनिक नंबर से भी साबित कर दिया। जबकि सभी जानते हैं कि यह थियोरम वास्तविक नंबरों के लिए ही थी। पटना युनिवर्सिटी के गणित के छात्र मनोज कुमार सिंह ने बताया कि न्यूटन की मॉडलस से जुड़ी मान्यता को वशिष्ठ बाबू ने नया मत दिया। न्यूटन के मुताबिक मॉडलस केवल धनात्मक होता है, जबकि वशिष्ठ बाबू ने उसे ऋणात्मक भी साबित कर दिया।

☞ वशिष्ठ बाबू के गांव के ही सुरेन्द्र सिंह बताते हैं कि डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की प्रशंसा सुनकर बोकारो से गणित का एक छात्र उनसे मिलने उनके घर बसंतपुर आया था, तब वे बिमार थे। उस छात्र ने वशिष्ठ बाबू के सामने गणित का एक सवाल रखा। उन्होंने गौर से देखा और उसके नीचे थीटा लिख दिया। वहां पर मौजूद सभी को आश्चर्य हुआ कि इस सवाल को हल किये बगैर वशिष्ठ बाबू उसका उत्तर थीटा कैसे लिख दिये। जब उस छात्र ने वशिष्ठ बाबू से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कह दिया कि इस सवाल का उत्तर थीटा है। बोकारो सायंस कॉलेज में इस सवाल और जवाब को लेकर गणितज्ञों की एक टीम बैठी। टीम ने माना कि वशिष्ठ बाबू का उत्तर सही है।

☞ नेतरहाट विद्यालय में वशिष्ठ नारायण से तीन साल जुनियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2009 में सेवा निवृत और नेतरहाट ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन के सदस्य भरत कुमार ने बताया कि पटना युनिवर्सिटी के दस साल के गणित के दस अनसुलझे सवालों को वशिष्ठ बाबू ने महज आठ महीने में सुलझा दिया। कोई भी प्रश्न उनके लिए कठिन नहीं था। नेतरहाट स्कूल के हॉस्टल में रहते हुए वे अपने सिनियर को भी पढ़ाया करते थे। वशिष्ठ नारायण में सेवा की भावना कुट-कुटकर भरी हुई थी। इसलिए वे पढ़ाई में वहां के सभी छात्रों को हर संभव मदद करने की कोशिश करते थे। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट www.psfsm.in

Former Dawood associate Ejaz Lakdawala arrested by Mumbai cops from Patna

Gangster Ejaz Lakdawala, onetime associate of fugitive don Dawood Ibrahim, has been arrested from Patna by Mumbai Police.He has been remanded to police custody till January 21, Joint Commissioner of Police (Crime) Santosh Rastogi told reporters here. Lakdawala was also associated with Chhota Rajan gang, he said."He used to be part of the Dawood Ibrahim gang under Chhota Rajan. When Rajan separated from Dawood, Lakdawala stuck to Chhota Rajan and somewhere around 2008-09, he became independent," he said. "So it is likely that we may get some important inputs about the original gang....," he said.Lakdawala's arrest comes days after his daughter Sonia Shaikh was held at Mumbai airport when attempting to flee abroad on a fake passport.Lakdawala's detention follows the arrest of his daughter Sonia Shaikh at Mumbai airport while attempting to flee abroad on a fake passport.

Senior Mumbai police officials said the gangster has traveled widely into various places and countries, including Canada, London, Malaysia, US and Nepal."All these investigations will be confirmed during investigation...," he said.Mr Rastogi said, the gangster's daughter, who was in police custody gave a lot of information. "Our sources also told us about his arrival in Patna, he was arrested in Jattanpur police station area," he said.Lakdawala was on the run for the last 20 years.He was wanted in 27 cases, including 25 of them in Mumbai.

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

हर चुनौतियों से लड़ने को हूँ तैयार : जयंतकान्त

बिहार के पुलिस प्रशासनिक सेवा में कार्यरत्त कई ऐसे आईपीएस हैं, जिन्होंने अपने काम के बदौलत अपने नाम की डंका देश के हर कोने में बजवाने का काम किया है। क्योंकि बिहार, देश के उन राज्यों में आता हैं जहां की अपराधिक गतिविधियां पूरे देश पर प्रभाव डालती है। इसलिए यहां काम करना काफी चुनौतिपूर्ण भी माना जा सकता है। अक्सर कई दफा यह देखने को पाया गया कि काम के दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों पर कई तरह से पॉलटीकल प्रेशर से राजनीति में अपना दमखम रखने वालों पर पुलिस का शिकंजा कस पाना आसान नहीं होता। इस बाबत अंगेस्ट टू पॉलीटकल्स इशू को एक किनारे रखकर यहां के पुलिस पदाधिकारियों ने अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आम जनता के बीच विश्वास बना पाने में सफल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी की आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, वे हैं जयन्तकांत। जहां फिल्मी पर्दे पर अपने धमाकेदार एक्शन से लोकप्रिय अभिनेता रजनीकान्त हैं तो दूसरी तरफ बिहार में अपने कार्यों से हो रहे लोकप्रिय एसएसपी मुजफ्फरपुर, जयंतकान्त हैं। बताते चले की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले जयंतकान्त ने वर्ष 2009 में बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान देना प्रारंभ किया तथा बिहार के रोहतास जिले से ट्रेनिंग के बाद एएसपी फतुहा में रहकर क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान देत हुए अपने काम से लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद अपना योगदान नवगछिया तथा एस.पी. जमुई में रहकर नक्सली समस्याओं पर भी काम किया। जयंतकान्त जैसे बहादूर ऑफिसर के सामने इनकी एक नहीं चली। नक्सलियों में इनका खौफ था। इसका अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि जमुई के लोग इन्हें नक्सल डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। फिर उन्हें एस.पी. बेतिया में पोस्टिंग मिली। जब पूरी तरह बेतिया में अपराधियों का खौफ जनता में बना हुआ था, उस समय सरकार ने इस तेज-तर्रार ऑफिसर को वहां क्राइम कंट्रोल के लिए डिबूट किया। गौरतलब हो कि जयंतकान्त को इसके बाद राजधानी पटना का नगर पुलिस अधीक्षक एवं यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया। सनद् रहे कि नगर पुलिस अधीक्षक, पटना में रहकर अपराधि यों में खौफ बनाते हुए क्राइम कंट्रोल का पूरा-पूरा ध्यान इन्होने दिया। इस बाबत वर्ष 2016 में जयंतकान्त को बिहार पुलिस महानिदेशक द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर गेलैंट्री अवार्ड भी मिला। बाद में इन्हें एस.पी. बक्सर का कार्यभार मिला और अब वह बिहार की मिनी राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक का कमान संभाले हुए हैं। वही जमुई में कार्य के दौरान स्थिति सामान्य बनाये रखने एवं बेहतरीय कार्य के लिए दो बार सी.आर.पी.एफ. के डी.जी. द्वारा प्रशस्ती पत्र दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जयंतकान्त ने 30 लाख रूपये के इनामी नक्सली कमांडर को पकड़कर सम्मान भी पाया। और तो और इन्हें फेम इंडिया मैग्जीन में एशिया पोस्ट के 25 सर्वश्रेष्ठ सुपर कॉप्स 2017 से सम्मानित किया गया। अगर इनकी निजी जिंदगी पर प्रकाश डाले तो, जयंतकान्त लखनऊ से अपनी शिक्षा अर्जित की तथा कुरूक्षेत्र से आईटीआई किये। उसके बाद एन. टी.पी.सी. में नौकरी भी किये, उसके बाद भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा में आ गये। वही राजधानी पटना में नगर पुलिस अधीक्षक पद पर कार्य के दौरान उनकी मुलाकात स्मृति पासवान से हुई तथा बाद में परिवार की सहमति से एसएसपी जयंतकान्त और स्मृति पासवान ने शादी कर ली। स्मृति की रूचि भी समाजिक कार्यों में देखी जा सकती है। सनद् रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वूमेन से स्मृति अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेसंस की डिग्री हासिल की है। बहरहाल, कई जिलों में कार्य का योगदान दे चुके जयंतकान्त को मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करना कोई चुनौति से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां शहरी व्यवसायियों का इसे क्षेत्र माना जाता है तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी नक्सली घटनाएं सामान्य है, फिर भी पूर्व के लंबित करीबन 16 हजार कांडों का निष्पादन कर पाना कोई चुनौति से कम नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर पत्रिका के संवाददाता **अविनाश कुमार** ने एसएसपी मुजफ्फरपुर **जयंतकान्त** का साक्षात्कार किया है, प्रस्तुत है इसके प्रमुख अंश :-

★ विभिन्न जिलों में कार्य करने के बाद आज मुजफ्फरपुर जिले का कमान आपके हांथों में है, यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा?

यह चैलेंजिंग डिस्टीक है और जहां भी मेरी पोस्टींग हुई है, वह भी काफी बड़ा जिला रहा है। ये उत्तर बिहार का हब है। यहां जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ी है तो उसके अनुसार अपराधिक गतिविधियों का बढ़ना लाजिमी है। इसके अलावा ट्रैफिक की भी यहां समस्या है तथा जनता को पुलिस से अपेक्षा भी ज्यादा है, तो इन सभी चुनौतियों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

★ देखा गया है कि रात्रि में हाइवे पर ट्रकों से पुलिस के द्वारा अवैध वसूली की जाती है, क्या कहेंगे?

ऐसा कोई सबूत मिले तो हम कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे। अगर आपके पास इसका सबूत है तो हमें दें, हम इस पर त्वरीत कारवाई करेंगे।

★ मुजफ्फरपुर जिले में अपराध में तेजी आयी है तथा ट्रैफिक की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके लिए क्या करेंगे?

कुछ पुराने केश है जिनपर हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पिछले एक से दो महीने में सौ से भी ज्यादा अपराधी हथियार के साथ पकड़े गये हैं तथा जेल भेजे जा चुके हैं। दूसरा आपका सवाल ट्रैफिक का है, तो इसमें हम कहेंगे कि अवैध पार्किंग की वजह से यह समस्या होती है। शॉपिंग मॉल हो या अर्पाटमेंट, इनके पास अपना पार्किंग नहीं होने से जाम की समस्या बढ़ गई है। वही पुलों पर भी गाड़ियों को पार्क करते लोग देखे जा सकते हैं। ये तो नगर-निगम का काम है। पुलिस अपना काम यातायात नियमों के अनुसार ही करता है।

★ इन दिनों थानों में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है। अगर किसी व्यक्ति का सिम कार्ड खो जाता है तो दो सौ और बाइक खो जाता है तो पांच सौ सहित अन्य मामलों के लिए सूचना या प्राथमिकी के लिए थानों में पैसे लिये जाते हैं, क्या कहेंगे?

साफ शब्दों में आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बक्सा नहीं जायेगा। अभी तक हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं आया है, फिर भी आप बता रहे हैं तो इसपर हम कुछ स्कॉट टीम लगायेंगे।

★ आधी रात के बाद थाने के गेट बंद देखे गये हैं और पुलिसकर्मी सोये रहते हैं?

देखिए, थाने में ओ.डी. ऑफिसर रहते हैं और फरियादी की कंप्लेन सुनी जाती है तथा एक ओ.डी. ऑफिसर की ड्यूटी होता है कि वह रात में जगा रहता है। हम इसकी गस्ती करते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, लेकिन पूरे थाने की नहीं। ये जांच का विषय है। हम इसपर कार्यवाई करेंगे। लेकिन फरियादी का कोई कंप्लेन नहीं लेता है तो थानेदार का नंबर है, मेरा है। अगर फिर भी कोई फोन नहीं उठाता है तो 100 नंबर पर डॉयल करे तथा इसकी जानकारी दे, कार्यवाई जरूर होगी।

★ थानो में बिना जांच के एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, क्या यह सही है?

ये सही नहीं है। दरअसल, पुलिस का काम है कि उसे जांच करना। होता ये है कि कोई फरियादी अगर कम्लेन लेकर आये और बोले की मैंने किसी का खून किया है इस चाकू से और चाकू पर खून लगा हुआ हो तब भी पुलिस का काम है कि उसे जांचा जाये। रही बात धारा लगाने की तो जांच के दौरान धारा बढ़ाया और घटाया भी जाता है।

★ जिले में मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक होने के बाद भी 24 लाख रूपये की लूट हो गई, पुलिस क्या कर रही थी?

इस लूट की वारदात मेरे संज्ञान में है और आपको बता दूं कि

वैन लूट में सुरक्षा गार्ड अपने हथियार को छोड़कर भाग गया था, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है किन्तु पुलिस निर्दोष को तो गिरफ्तार नहीं करेगी। बहुत जल्द इससे जुड़े अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तथा पैसे की रिकवरी भी होगी। हमारी टीम इस पर काम कर रही है।

☆ आपने बेतिया में भी अपना योगदान दिया है। बेतिया और मुजफ्फरपुर में क्या अंतर देखते हैं?

बेतिया और मुजफ्फरपुर में काफी अंतर है। मेरे कार्य के दौरान बेतिया में पहली बार छः घटनाएँ हुई, जिसमें एक भी बैंक डकैती नहीं हुई थी तथा दूसरे साल ज्यादा कोई गंभीर घटनाएं नहीं हुई थी। हमारी कोशिश रहेगी की मुजफ्फरपुर में अपराध पर लगाम लगाया जा सके। मुजफ्फरपुर चुनौतियों से भरा शहर है, उसे बेतिया के लेवल पर लाना हमारी कोशिश रहेगी।

☆ जमुई में जब आप कार्यरत्त थे तो आपको 'नक्सली डॉक्टर' कहा जाता था। मुजफ्फरपुर में भी नक्सल की समस्या है, क्या कहेंगे?

जी बिल्कुल जमुई की जनता का प्यार हमें बहुत मिला था और उन्होंने ही 'नक्सल डॉक्टर' का नाम मुझे दिया था, जिसे आपकी पत्रिका ने भी प्रकाशित किया था। यहां हमारे जिले में तीन प्रखण्ड है पारू, साहेबगंज और मिनापुर। हमलोग समय-समय पर नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम कराकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां के ए.एस.पी. अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि दस से अधिक नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। तीन नक्सलियों कमांडर भी मोतीपुर से गिरफ्तार हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी नक्सली हैं, उसकी गिरफ्तारी हो और जेल से छुटे हुए को रिमांड पर लें। साथ ही जमुई की अगर बात करें तो वहां पर जनता और मीडिया का सहयोग काफी मिला था। यहां पर भी एसटीएफ का तथा सीआरपीएफ का सहयोग मिलता है।

☆ आपको कार्य के दौरान कभी कोई पॉलिटीकल प्रेशर मिला है?

देखिए, यह पद ही एक प्रेशर है। जो अपने आप में कर्तव्य का पालन करना ही हमारा लक्ष्य होता है। दरअसल, दो ऐसे मामले हैं जो चुनौतियों से भरा था। एक जमुई को नक्सलियों से मुक्त कराना और दूसरा छठ पूजा के दौरान भगदड़ को कंट्रोल करना। यह काफी चुनौतिपूर्ण था, फिर भी हमने किया और इसके लिए हमें सम्मान भी मिला।

☆ आपको नहीं लगता की 498 एक्ट का महिलाएं दुरूपयोग कर रही हैं?

हाँ कुछ केश है जो पूरी तरह से सच नहीं होता। पुलिस का काम है कि जांच करके उस व्यक्ति को अरेस्ट करे। सीधे तौरपर बता दें कि कोई कहे की 'My wife has blood on this knife' तो भी यह काम है पुलिस के लिए जांच का है।

☆ केश के सुपरविजन में कई बार रिपोर्ट सही नहीं आता, क्या कहेंगे?

अविनाश जी हम ये नहीं कह सकते की पूरी तरह से केश में रिपोर्ट सही आते हैं। कुछ गलतियां होती ही है किन्तु कमियां सभी में होती है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। फिर भी पुलिस के नाते सही रिपोर्ट आये, यही हमारी अपेक्षा रहती है।

☆ नये साल में अपराध नियंत्रण के लिए आपकी क्या योजना होगी?

कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारी कोशिश होगी की आमजनों में पुलिस पर विश्वास बना रहे। आमजनों का विश्वास ही अपराध पर अंकुश लगाने में सहायक होता है। शहर चुनौतियों से भरा परा है और यहां कुछ नया अनुभव मिला है। टीम वर्क से अपराध पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश रहेगी वही कम उम्र के बाईकस गैंग पर कंट्रोल करना तथा 16 हजार लंबित कांड का निष्पादन करना हमारे लिए चुनौति होगी। इसके साथ आधे से ज्यादा दारोगा, जमादार, सिपाही सहित अन्य खाली पदों को मैनेज करना हमारी प्राथमिकता होगी। शराब कारोबारियों के सिंडीकेट को तोड़ना भी हमारी प्राथमिकता में होगी। वाहनों की सघन चेकिंग की जायेगी, ट्रैफिक पर कंट्रोल करना है। साथ ही मुजफ्फरपुर शहर में रह रहे अपराधियों को साफ तौरपर कहना चाहता हूं कि जो अपराधी जेल से छुटे हुए हैं, अगर वह अपराधी गतिविधि में हैं तो मेरी पहली प्राथकिमता होगी कि उन्हें जेल भेजना। इसके अलावा बैंकों की सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए बैंक के जी.एम. से मीटिंग करनी है।

W. Bengal Madarsa committee moves SC for recent verdict on appointment

The Supreme Court will hear next week a plea of an association seeking stay of its verdict that Government can frame regulations for appointment of teachers in minority institutions.Chief Justice of India S A Bobde headed the bench. Association of Madrasas of Bengal today mentioned the matter before the top court.The

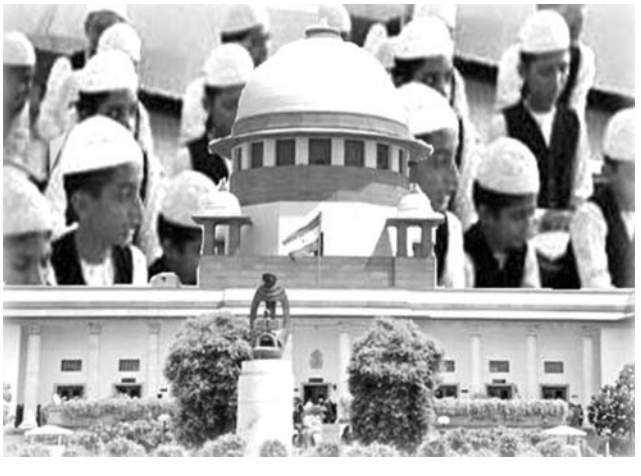

body sought a stay of the verdict of the Supreme Court that government can frame regulations for appointment of teachers in minority institutions."We will hear the petition next week," ruled the bench. The Madrasas contended that the judgement delivered on Monday by a division bench is contrary to a three-judge verdict of the top court that minority institutions have the right to decide on appointment of teachers. That right, the Madarsas contended, cannot be taken away by Government.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ पॉक्सो कानून क्या है? यह कब और क्यों लागू हुआ?

पॉक्सो का पूरा नाम "प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस" है, जिसका हिंदी में अर्थ लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण है। वर्तमान युग में मासूम एवं नाबालिग बच्चो के साथ रेप की घटनाये बढती जा रही है , लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे है, बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों की खबरें समाज को शर्मसार करती हैं, इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में यह विशेष कानून बनाया था, जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून से पहले भारत में यौन अपराधों के लिए कोई अलग से कानून नहीं था, इस कानून की खास बात यह है कि भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 के अंतर्गत केवल पुरुष ही बलात्कार का दोषी माना जाता था, लेकिन पॉक्सो एक्ट में लड़का और लड़की का अपराध समान माना गया है, और दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है, अत: बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नाबालिक बच्चो की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान किया जाये एवं सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे बालक के शारीरिक स्वास्थय, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सके।

✯ पॉक्सो कानून में अपराधो की सुनवाई किस प्रकार की जाती है?

पॉक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है, और इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी होती है।

✯ पॉक्सो कानून में कौन से अपराध शामिल है और इन अपराधो के लिए कितनी सजा का प्रावधान है?

18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के अन्तर्गत आता है, जिसके तहत नाबालिग बच्चों के साथ सेक्सुअल असाल्ट ,सेक्सुअल हेरास्मेंट, और पोर्न ग्राफी जैसे अपराध शामिल है, इन अपराधो से सुरक्षा के लिए इस कानून के तहत अलग- अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा और जुर्माना तय किया गया हैं।

पोक्सो कानून की मुख्य धाराए :- इस कानून के अंतर्गत किये गये अपराध सजा एवं जुर्माने का प्रावधान धारा 3 व 4 मे किया गया है। धारा 3 के के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी पार्ट में प्राइवेट पार्ट डालता है, या बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज डालता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है तथा बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है तो यह धारा-3 के तहत अपराध होगा। धारा 4 के अनुसार 7 साल से लेकर उम्रकेद की सजा तथा जुर्माने का प्रावध ान है। धारा 6 धारा 6 के तहत उन मामलों को शामिल किया जाता है जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो या जिनमें बच्चो के साथ लैंगिक हमला किया गया हो, धारा 6 के अनुसार 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 7 व 8 :- धारा 7 के तहत उन मामलों को शामिल किया जाता है, जिसमें बच्चों के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ की गई हो । धारा 8 के अनुसार इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

धारा-11 व 12 :- धारा 11 के तहत उन सेक्सुअल हैरासमेंट को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों को गलत नियत छूता है या सेक्सुअल हरकतें करता है, अश्लील प्रयोजनों के लिए एक बच्चे को लुभाता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है। धारा 12 के अनुसार दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

✯ पॉक्सो में नये संसोधन के बाद क्या बदलाव हुए?

अप्रैल 2018 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन मामलों में सजा के प्रावधान और भी सख्त कर दिए गये है, जिसमें 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। 2018 में किये गये संसोधन में 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में सजा 10 साल से बढाकर 20 साल कर दी गयी है। नए संसोधन के अनुसार पोक्सो के मामले में अब किसी दोषी व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) भी नहीं मिलेगी, दोषी व्यक्ति को सरेंडर करके जेल जाना होगा, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376, 376, 376 के अनुसार रेप मामले में बेल पर सुनवाई से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीड़िता पक्ष को 15 दिन का नोटिस देना होगा।

✯ पॉक्सो के नए कानून में जांच व सुनवाई की समय सीमा कितनी होगी?

पॉक्सो के नए कानून में जांच व सुनवाई की समय सीमा तय कर दी गयी है जिसके तहत रेप के हर मामले की जांच किसी भी हाल में 2 महीने के अंदर पूरी की जाएगी, रेप मामलों की सुनवाई भी 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, तथा रेप मामलों में अपील और अन्य सुनवाई के लिए अधिकतम छह महीने का वक्त दिया जाएगा।

✯ पॉक्सो कानून में हुए संसोधन के बाद यौन अपराधो पर कितनी रोक लगी है?

पॉक्सो के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के बहुत से मामले 2012 से 2016 के बीच दर्ज किये गए हैं, इसमें कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित पड़े हुए है जबकि अपराधी को सजा मिलने की दर बहुत कम है, जो कि अपराधों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, हालाँकि सरकार के 2018 के संसोधन से किये गये बदलाव व फांसी की सजा के प्रावधान से इन अपराधो पर कुछ हद तक अंकुश लगा है, लेकिन सरकार को इस एक्ट में और जरूरी सुधार करने होंगे ताकि पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, लंबित मुकदमे और सजा की दर बताती है कि सिर्फ कानून बनाने से रेप के मामले नहीं रुकेंगे इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही भी तय करनी होगी, ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि बच्चों का शोषण जान-पहचान के लोग ज्यादा करते हैं, और घर के लोग उन पर शक भी नही करते हैं, और बच्चे डर के कारण ये बाते किसी से बता नहीं पाते और वे शोषण का शिकार हो जाते है, इसलिए माता- पिता का यह दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चो को जागरूक करे और इन सब अपराधो की जानकारी दे और जिन लोगों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, उन पर पूरी नजर रखें।

एटीएम लूट में करोड़ों का गबन

● ओम प्रकाश

एसबीआई और यूबीआई एटीएम में पैसा डालने के बजाय चार करोड़ सात लाख की धोखाधड़ी के केस में रांची की सदर पुलिस ने एसआईएस कैश सर्विस के सभी फर्जी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एसआईएस के दो कर्मी जो ऑडिटर का काम करते हैं ,इन लोगों का काम एटीएम में कैश जमा करने का होता था। इन लोगों ने आखरी बार एटीएम मशीन में 13 दिसंबर को कैश जमा किया था और फरार हो गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि एक कर्मचारी को दो महीने पहले और दूसरे को कुछ दिन पहले ही एसआईएस मैं कैश हैंडलिंग का काम संभालने के लिए रखा गया था। 18 दिसंबर को रांची के सदर थाने में एसआईएस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर कंचन ओझा द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी। दो आदमी गणेश ठाकुर और शिवम एसआईएस के कॅश मैनेजमेंट सिस्टम में बहाल हुए और सात से चौदह तारीख के बीच इन लोगो के द्वारा चार करोड़ सात लाख रुपए का गबन कर लिया गया। उसके बाद यह लोग फरार हो गए। प्रारंभिक जांच के अनुसंधान मैं यह पाया गया कि उन दोनों लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया गया था और स्थानीय पता उपलब्ध कराया गया था, स्थानीय मुखिया से जो सत्यापन कराया गया था, सभी के सभी फर्जी और जाली थे। इसके बाद सदर थाना की पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दोनों लोग फर्जी नाम पता पर बहाल हो करके एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। बाद में यह भी ज्ञात हुआ कि वे दोनों लोग एक दूसरे से पूर्व में भी परिचित थे। इसके बाद से यह निष्कर्ष निकला यह पूरी तरह से एक आपराधिक षड्यंत्र का मामला था। सदर पुलिस सत्यापन के लिए इन लोगों के घरों पर गई लेकिन दोनों के घर फर्जी निकले। अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली की एक लड़का जो कि गणेश ठाकुर के रूप में काम करता था, उसका असली नाम विपिन कुमार था। सदर पुलिस द्वारा विपिन को टारगेट करने के बाद विपिन की जानकारी इकट्ठा करने के क्रम में मालूम हुआ कि विपिन दिल्ली में है और दिल्ली से आमुख तारीख को फ्लाइट से आने वाला है। फिर उसके बाद वरीय पदाधिकारियों के द्वारा तीन चार टीम का गठन किया गया टीम में टेक्निकल सेल के लोग और सदर थाने की टीम

थी। इसी क्रम में एक टीम दिल्ली चली गई और एयरपोर्ट में विपिन के आने की सूचना के दिन रेकी किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास कुछ नकदी मिले। फिर कड़ाई से पूछताछ के क्रम में उसने उस जगह के बारे में बताया जहां उसने एक मोटी रकम छिपा रखी थी । इसके बाद सदर पुलिस की टीम ने बिना क्षण गवाएं एक बहुत बड़ी रकम लगभग दो करोड़ दस लाख रुपए बरामद किए। फिर उसके बताए अनुसार रांची स्थित उसके किराए के आवास से भी करीब चार लाख रुपये बरामद किए गए। फिर पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा उसके दूसरे सहयोगी जिसका नाम सुभाष रजक है जो कि सहरसा क्षेत्र में रहता है, उसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने छापेमरी की, लेकिन पता चला वह पटना भाग गया है। सदर पुलिस की टीम ने फिर पटना में उसके आवास पर छापेमारी किया। उसी क्रम में विपिन की निशानदेही पर पटना में राजेश नाम का लड़का पकड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह राजेश वही आदमी है जिसने इन दोनों को फर्जी तरीके से बहाल कराया था। राजेश के पास से भी उसकी निशानदेही पर उसके घर पर से लगभग साढ़े तैंतीस लाख रुपए बरामद किये गए। फिर विपिन और राजेश के बताए अनुसार उनके बताए घर पर रेड किया गया, जहां पर सुभाष और सुरेश दोनों मौजूद थे। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों के पास से नौ लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह से कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों की जानकारी एवम गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। कांड का उद्भेदन भी सदर पुलिस ने पूरी तरह से कर लिया गबन किए गए रुपए का अधिकांश भाग पुलिस ने बरामद कर लिया। रांची की सदर पुलिस की या बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी राशि की रिकवरी अभी तक कहीं भी किसी भी थाने से नहीं हुई है। यह बहुत बड़ी रिकवरी है। थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने बताया कि उन्हें वरीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन मिला। वरीय पदाधिकारियों द्वारा जो टीम का गठन किया गया था वह बहुत ही सराहनीय रहा। थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने बिहार के पाटलिपुत्र थाना प्रभारी कमलेश्वर राय के योगदान और सराहनीय भूमिका के लिए उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद दिया है। राजेश रहने वाला सुपौल का है।

वर्तमान में वह पटना में घर लेकर आ रहा था। आदिखतम राशि दो करोड़ संता वन लाख की राशि बरामद कर ली गई है। कुछ राशि आरोपियों ने बैंक के माध्यम से भी जमा कराया है। आरोपियों के तमाम बैंक खातों की जाँच सदर पुलिस कर रही है, जिनमे गबन के रुपये जमा किये गए है। रुपये की जानकारी मिलते ही उन सभी खाते को सीज कर दिए जाएंगे। सदर पुलिस इस पर भी ध्यान देगी कि कही इन लोगों ने अपने किसी सगे संबंधियों के नाम से भी खाते खुलवा रखे हैं एवं उसमें गमन की राशि जमा किए हैं। इस पर सदर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। जिनके पास भी जवान की राशि मिल जाएगी उनके भी खाते सीज कर दिए जाएंगे। थाना प्रभारी बँकटेश कुमार ने बताया मामले का उद्भेदन शुरुआती पांच से छः दिनों में ही हो गया था।

मामले के मुख्य आरोपी विपिन की जानकारी उन्हें शुरुआत में ही हो गई थी। इस पूरे कांड और गिरफ्तारी से लेकर राशि की बरामदगी तक दो सप्ताह से कम का समय लगा।

जेल गए अभियुक्तों के नाम :- विपिन कुमार जो गणेश ठाकुर के नाम पर नौकरी कर रहा था। दूसरा सुभाष रजक जो की शिवम कुमार के नाम से नौकरी कर रहा था। तीसरा राजेश मेहता और चौथा सुरेश मेहता है। इनके पास से आठ एटीएम कार्ड पांच मोबाइल फोन फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। छापामारी दल में सदर थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार राजकुमार यादव, विकास कुमार, प्रभांशु कुमार खेल गांव थाना से रजनीकांत, तकनीकी शाखा से अजमत अंसारी और अभिषेक कुमार शामिल थे।●

नये वादों के साथ चुनावी गलियारों में नेता जी

● सज्जाद हैदर
(वरिष्ठ पत्रकार)

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा के साथ ही भाजपा में प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी होगी, जिसमें विस्तारक, प्रभारी, संयोजक के साथ ही विधायक व पार्षद भी शामिल होंगे, जोकि सभी उम्मीदवारों को लेकर लिखित राय देंगे। उनकी राय एक पेटी में बंद की जाएगी, जिसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक साथ कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इनमें से योग्य उम्मीदवार के चयन और इस काम में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार यह तरीका अपनाया गया है। सभी जिलों में इसके लिए कार्य शुरू हो गया है। बैठक में प्रदेश के नेता पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। उनकी उपस्थिति में संबंधित जिला में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम पर कार्यकर्ता राय देंगे। इस रायशुमारी में विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए विस्तारक, प्रभारी व संयोजक के साथ ही, विधानसभा में मंडलों के अध्यक्ष, वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी, पार्षद व पूर्व पार्षद (वर्ष 2012 में चुनाव जीतने वाला) तथा जिला अध्यक्ष प्रदेश, मोर्चे व जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा नेताओं ने बताया कि इस प्रक्रिया से योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विवाद की आशंका भी नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने को लेकर हर सीट पर दावेदारों में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को आशंका है कि प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने के बाद कुछ लोग गुटबाजी को हवा दे सकते हैं। ऐसे ही नेताओं को संतुष्ट करने और जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करने के लिए पार्टी यह रायशुमारी करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सियासी योद्धाओं का यह भी मानना है कि इस प्रक्रिया से जहां प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता आएगी। वहीं चुनाव में योग्य व सक्षम उम्मीदवार के चयन में भी आसानी रहेगी। भाजपा, कांग्रेस और आप सभी पार्टियों में खींचतान तेज हो गई है। टिकट के लिए आवेदन करने वालों का तांता लगा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खासी संख्या में लोगों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात शुरू कर दी है जिससे कि दावेदारी जतानी की जंग आरम्भ हो गई है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर सीट पर संभावित दावेदारों की लंबी कतार है। सभी पार्टियाँ जीतने वाले मजबूत व पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में मैदान में उतारने की रूप रेखा की ओर आगे बढ़ रही हैं। कुछ बड़े नेताओं के वंशज भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में लगे हुए हैं। अपनी खोई हुई विरासत को पुनः पाने की भी कवायद तेज हो गई है। यह प्रक्रिया सभी खेमों में बखूबी दिखाई दे रही है। प्रत्येक बड़ चेहरे के पीछे एक छोटा चेहरा जरूर खड़ा हुआ है। जिसको इस बार के चुनाव में टिकट का इन्तेजार है। इसमें सांसद विधायक से लेकर मुख्यमंत्री के पुत्र गण भी पूरी तरह से शामिल हैं जोकि पूरी ताकत से लगे हुए हैं और अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। जानकारों की माने तो इस बार मुख्यमंत्री के पुत्र गण भी अपनी किस्मत आजमाना चा रहे हैं। जोकि किसी तरह से विधानसभा में पहुँचना चाह रहे हैं। पुत्रो के साथ–साथ कुछ नेताओं के छोटे भाई भी इस बार टिकट की जुगत में लगे हुए है। इस बार कुछ नई सियासी पार्टियां भी दिल्ली के चुनाव में अपना दम दिखाने की जोर आजमाइश में लगी हुई है। हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने का निर्णय लिया है। इसके लिए वह करीब एक दर्जन विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रही है। इसी सप्ताह सर्वे पूरा हो जाएगा। जजपा यह फीडबैक जुटाने में लगी है कि किन सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और किन सीटों पर मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली में जजपा अकेले ताल ठोंकेगी या भाजपा के साथ गठबंधन करेगी, इसका फैसला पार्टी ने रणनीतिकारों पर छोड़ दिया है। सूत्रों की मानें तो जजपा खुद चाहती है कि दिल्ली विस चुनाव में भाजपा उसके साथ गठबंधन करे, जिसका फायदा दोनों दलों को मिल सकता है। जातीय समीकरणों को साधने का कार्य तेजी के साथ आरम्भ हो गया है। जजपा को दिल्ली में जाट बाहुल्य सीटों पर अधिक समर्थन मिलने की आस है। नजफगढ़, मुंडका, बवाना, नरेला, बिजवासन, मटियाला, पालम, महिपालपुर, महरौली, नांगलोई, बदरपुर, देवली और चकरपुर जैसी सीटें शामिल हैं, जहां दुष्यंत चौटाला को लगता है कि उन्हें बढ़त मिल सकती है। इसी के साथ लालू की पार्टी और नितीश की पार्टी भी दिल्ली की राजनीति में अपना दम–खम दिखाएगी। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। इसके बाद होर्डिंग्स और पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही दिल्ली का सियासी पारा अपने चरम पर पहुँचता दिखाई दे रहा है। सभी नेता अपनी–अपनी जुगत में लगे हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की जनता क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि, इस बार का दिल्ली चुनाव कुछ खास ही है क्योंकि, इस बार कई नई राजनीतिक पार्टियों ने अपने आपको दिल्ली के चुनाव में उतार दिया है जिससे कि मतों का उथल–पुथल होना स्वाभाविक है। जिससे कि अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि, झारखण्ड और हरियाणा चुनाव के बाद अब देश के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग दिशा में चल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण मिनी इण्डिया के रूप में जानी जाती है क्योंकि, दिल्ली में पूरा भारत निवास करता है। जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। जोकि दिल्ली की सरकार के भाग्य का फैसला करेगा। कि क्या होता है। क्योंकि इस बार मतों का विभाजन बड़े पैमाने पर होगा। क्योंकि, भाजपा का अपना जनाधार है। साथ ही केन्द्र में भाजपा की सरकार है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। जोकि अपने कार्यो के आधार पर जनता के बीच जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का मत जब चुनाव में सामने आएगा तो मामला त्रिकोणीय होना तय है। इसके बाद बाकी नीतीश और लालू की पार्टी क्या फर्क डालती है। यह देखना होगा। इसलिए चुनाव की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। जिससे कि इस बार के चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस बार का चुनाव किस करवट लेगा। ●

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

www.shruticommunicationtrust.org

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

चलें गाँधी मैदान! पायें प्रतिष्ठा और सम्मान!!

12 अप्रैल 2020

ब्राहम्ण परिवार मिलन महाकुम्भ

भविष्य की रक्षा करनें पहुचे

समय 11 बजे AM

1001 ब्राह्मणों के द्वारा सुन्दर कांड का पाठ

पारिवारिक प्रीतिभोज

परिवार के साथ पहुचें गाँधी मैदान, पटना

आयोजक

चाणक्य विकास मोर्चा

पता - पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

Mob. 9431073769, 9955077308